


राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर

राजस्व लेखा मैन्युअल, सन् 1972

राजकीय मुद्रणालय, जोधपुर।



राजस्थान राजस्व लेखा मैन्युअल

1972

मानविकी धर्म

राजस्थान प्रदेश के गठन से पूर्व, विलीनीकृत राज्यों में भू-भिन्नता व तत्त्वम्बन्धी राजस्व लेखा रखने की भिन्न भिन्न पद्धतियाँ प्रचलित थीं सर्वप्रथम तहसील स्तर पर राजस्व लेखा में एकलूपता लाने हेतु प्रारम्भिक प्रयास राजस्व मण्डल द्वारा संख्या 8501-05 दी० आर०, दिनांक 23-11-55 प्रसारित निदेशों द्वारा किया गया, जिनके अन्तर्गत प्राप्त भेष्या 'क', 'ख' व 'घ' निर्धारित किये गये जो अब तक प्रचलित हैं।

जिला स्तर पर लेखा संकलन एवं संधारण की पद्धति मानवन्धी संक्षिप्त प्रावधान जिला नियमावली के अध्याय 6 में निर्धारित किये गये। इसके उपरान्त गजय विधान मण्डल द्वारा 'भू-राजस्व एवं राजस्वार्थी' म्बन्धी कतिपय अधिनियम एवं उनके संशोधन पारित किये गये। इन्हीं अधिनियमों के अन्तर्गत कई नियम व निर्देश भी राज्य सरकार व राजस्व मण्डल द्वारा प्रसारित किये गये। अन्य कुछ गजयीय विभागों ने भी राजस्व आय के सम्बन्ध में इसी प्रकार के अधिनियम-नियम व निर्देश सामग्र समय पर प्रमाणित किये किन्तु इसके साथ ही तत्त्वम्बन्धी मांग, संग्रह एवं अवशेषों का लेखा रखने का कार्य राजस्व विभाग की ही मीपा गया।

परिवर्तित परिस्थितियों में बांछित राजस्व लेखा प्रारम्भिक हृष में नियोगित व्यवस्थाओं के अधीन रखा जाना सम्भव न होने के कारण समय समय पर सह पंजिकाएं रखे जाने की भी व्यवस्था की गई। फिर भी अभीष्ट व्यवस्थाओं के अनुरूप व्यवस्थित लेखा तैयार करने में निरन्तर कठिनाइयों व वाचाएँ अनुभव की गईं। जिनका विस्तृत राजस्व लेखा नियमावली के अभाव में समय न हो सका।

इन समस्त कठिनाइयों के समुचित निदान व तिवारण हेतु अब तक की अनुभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इस दृष्टिकोण से कि राज्य सरकार का राजस्व आय का किंवा पूर्ण व्यवस्थित द्वारा से रखा जा सके व यह कार्य निर्वाध गति से सरलतापूर्वक राजस्व लेखा अनुमान के कर्मचारियों द्वारा विनाशकि व समय का अनावश्यक अपवर्य किये, व्यवस्थित किया जा सके, राजस्व मण्डल द्वारा इस "राजस्व लेखा मैन्युअल" का प्रारूप तैयार किया गया है।

श्री गो० व० हूजा निवर्तमान अध्यक्ष महोदय द्वारा इस मैन्युअल के तैयार करने की प्रेरणा और उनके आदेश दिनांक 10-6-71 के अन्तर्गत श्री निर्मल मुर्जी, वर्गिठ लेवाधिकारी, राजस्व मण्डल, राजस्वान, अजमेर की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों सर्वथो प्रतापसिंह, निरीक्षक, राजस्व लेखा मुद्रालय गंगानगर, सूरजमत विजय, निरीक्षक, राजस्व लेखा मुद्रालय, कोटा, हरि कुण्ड, निरीक्षक, राजस्व लेखा, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर व सूरजभान मलहान, निरीक्षक, राजस्व लेखा मुद्रालय, बीकानेर द्वारा अपने अपने अनुभवों के आधार पर तथा यह तक उपलब्ध नियमों, निर्देशों, आदेशों तथा परिवारों की मंडल नित कर कठिन परिश्रम से इस मैन्युअल का प्रारूप हिल्डी में तैयार किया गया है। जिसमें इन्हें पृष्ठों के नम्बरों में सम्बन्धित श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारियों को कठिनाई न हो।

इस मैन्युअल में राजस्व आय प्राप्तियों तथा अन्य संप्रदूँ जिनका विवरण न निरीक्षण आवश्यक महोदय, राजस्व मण्डल द्वारा सम्पादित होता है अथवा जिनकी विषयी राजस्व विभाग के माध्यम से होती है, से सम्बन्धित लेखा रखने की विधि, उसके एकीकरण तथा निरीक्षण हेतु प्रावधान निर्हित है। राजस्व लेखा वर्ष भी इस मैन्युअल में वित्त वर्ष के आधार पर ही नियत किया गया है किंवा कि राजस्व एवं समस्त लेखा वित्तीय वर्ष के आधार पर रखा जाता है और निम्नस्तर पर वृत्ति वर्ष के आधार पर किसी रखने में न केवल समय ही नप्त होता है बरन् दृहरी प्रक्रिया प्रणाली से अम तथा कार्य उपर्युक्त सामग्री भी होता है।

संक्षेप परिशिष्टों के संकलन, सामग्री उपलब्ध कराने व टंकण आदि में श्री श्रावण मायारामान, लेखा लिपिक, राजस्व मण्डल तथा श्री जम्मू आमनानी, टंकण व अन्य कर्मचारियों ने भी आपना पुर्णहास्य सराहनीय योगदान दिया है।

निवारण,

राजस्व मण्डल, राजस्थान

अनंतर

विषय-सूची

| संख्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|---|--------------|
| | प्रथम भाग | |
| | अध्याय — १-क | |
| | प्रारम्भिक | 1 |
| 1 अ. | संक्षिप्त शीर्षक और आरम्भ | 1 |
| 1 आ. | विस्तार | 1 |
| 1 इ. | व्याख्या | 1 |
| 1 ई. | परिभाषायें | 1 |
| 1 उ. | खण्डन | 1 |
| | अध्याय—१ | |
| | तहसील राजस्व लेखाकार एवं उसके कर्तव्य | |
| 1. | तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की संख्या, सहायकों की नियुक्ति एवं पदों के सूजन करने हेतु आवश्यक मापदण्ड | 1 |
| 2. | एक से अधिक तहसील राजस्व लेखाकारों की नियुक्ति पर पर कार्य विभाजन एवं प्रभारी कनिष्ठ राजस्व लेखाकार | 1 |
| 3. | कनिष्ठ राजस्व लेखाकार की नियुक्ति | 1 |
| 4. | वेतन | 1 |
| 5. | पदोन्नति, दण्ड व स्थानान्तरण | 1 |
| 6. | तहसील राजस्व लेखाकार को राजस्व मण्डन की पूर्व सहमति विना अन्य कार्य पर न लगना | 2 |
| 7. | कनिष्ठ राजस्व लेखाकार के कर्तव्य | 2 |
| | अध्याय—२ | |
| | भू-राजस्व अभियाचन | |
| 8. | भू-राजस्व की मांग निर्धारण के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों का कर्तव्य | 5 |
| 9. | राजस्व मांगों का वर्गीकरण—स्थाई भू-राजस्व की मांग | 5 |

| राठ्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|---|--------------|
| 10. | अस्थाई भू-राजस्व की मांग व उसके प्रकार | 5 |
| 11. | सरफेस रेल्ट की जमा कायमी अस्थाई मांग है | 5 |
| 12. | अस्थाई भू-राजस्व मांगों का स्थाई भू-राजस्व मांग में सम्मिलित करना | 5 |
| 13. | अन्य विविध प्रकार की राजस्व मांगों का अभियाचन | 6 |
| 14. | मांग का स्वरूप जात होने पर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है | 6 |
| 15. | स्थाई भू-राजस्व मांग का निर्धारण एवं स्वीकृति | 6 |
| 16. | जिला कार्यालय में किश्तबन्दी की जांच के समय देखने योग्य मुख्य बातें | 6 |
| 17. | किश्तबन्दी जिला कार्यालय में प्रेषित करने से पूर्व सर्किल आॅफिसर द्वारा पूरी पूरी जांच करना तथा तहसीलदार द्वारा सही होने का प्रमाणीकरण करना | 6 |
| 18. | किश्तबन्दी की अवधि, आवश्यकता होने पर जिलाधीश द्वारा राजस्व मण्डल तथा राजस्व मण्डल द्वारा गुज्ज्य सरकार को किश्तबन्दी अन्तिम स्वीकृति के लिये भेजना | 7 |
| 19. | व्यक्तिगत मामलों में मांग में कमी की स्वीकृति दुबारा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है | 7 |
| 20. | ग्रामवार स्थाई मांग जिलाधीश द्वारा स्वीकृत होने के बाद अदेश की प्रति राजस्व मण्डल तथा तहसील को भेजना | 7 |
| 21. | स्वीकृति प्राप्त होने पर तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा पंजिकाओं में मांग का ग्रामवार अंकन तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा जांच-पटवारियों द्वारा वर्गीकरण के लिये प्रस्थान करने से पूर्व मांग का भिलान | 7 |
| 22. | अस्थाई भू-राजस्व मांग निर्धारण एवं उसकी स्वीकृति | 7 |
| 23. | जिला गंभानगर में जिलाधीश गिरदावरी वार्ष को 15 दिन पूर्व प्रारम्भ करने की तथा 15 दिन स्थगित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं | 7 |
| 24. | आफिस कानूनों द्वारा सक्षम अधिकारी से मांग स्वीकृत होने पर तहसील राजस्व लेखाकार को विवरण प्रेषित करना | 8 |
| 25. | आफिस कानूनों से सूचना प्राप्त होने पर प्रपत्र रा० ले० सं० 3 में अस्थाई भू-राजस्व कर निर्धारण की ग्रामवार किश्तबन्दी तैयार करना | 8 |
| 26. | तहसीलदार द्वारा अस्थाई मांग की किश्तबन्दी दुपरता में 15 भई तक जिलाधीश को प्रेषित करना | 8 |
| 27. | स्वीकृत होने पर तहसीलदार मांग के अंक ग्रामवार खतीनी रजिस्टर में दर्ज करायेंगे तथा जांच करेंगे | 8 |

| संख्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|---|--------------|
| 28. | राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1957 या प्रतिस्थापित नियम, 1970 व अन्य नियमों के अन्तर्गत आवंटित भूमि के कर निधारण के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों की औसत मांग से तुलना की आवश्यकता न होना .. | 9 |
| 29. | सरफेस रेट-मांग निधारण विधि .. | 9 |
| 30. | विविध प्रकार की मांगों के निधारण की स्वीकृति .. | 9 |
| 31. | प्राकृति कउपज से आय-आौफिस कानूनगो द्वारा ग्रामवार पवावलियां खोलना—सक्षम अधिकारी-बोली के समय चौथाई राजि अग्रिम जमा करना आदि प्रक्रिया | 9 |
| 32. | प्रीमियम व आस्ति की मांग का निधारण .. | 10 |
| 33. | सनद शुल्क की मांग का निधारण .. | 11 |
| 34. | नामान्तरकरण शुल्क की मांग का निधारण .. | 11 |
| 35. | चूने के भट्टों के लिये आवंटित भूमि का किराया .. | 12 |
| 36. | ओद्दोगिक क्षेत्र आवंटन नियमों के अन्तर्गत आवंटित भूमि का वार्षिक लगान का निधारण .. | 12 |
| 37. | प्रतिलिपि शुल्क .. | 13 |
| 38. | नमक क्षेत्र किराया .. | 13 |
| 39. | आदेशिका शुल्क .. | 13 |
| 40. | भूमि एकीकरण शुल्क .. | 14 |
| 41. | तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा मांग का रजिस्टरों में दर्ज करना तथा डी० सी० बी० माननित्र में सम्मिलित करना .. | 14 |

अध्याय—3

भू-राजस्व पर अधिभार(सरचार्ज)

| | | |
|-----|---|----|
| 42. | राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) अधिनियम, सन् 1960 के अन्तर्गत दरें निर्धारित .. | 14 |
| 43. | राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) नियम, 1960 के अन्तर्गत मांग निधारण करने की प्रक्रिया .. | 14 |

अध्याय—4

पूरक अभियाचन

| | | |
|-----|---|----|
| 44. | विभिन्न प्रश्न को मांगों द्वारा प्रमियावत उत्तर होने के कारण .. | 15 |
|-----|---|----|

| संख्या | विषय | पृष्ठ तांत्र्या। |
|--------|--|------------------|
| 45. | अभियाचन की प्रक्रिया | 15 |
| 46. | सक्षम अधिकारी द्वारा पूरक अभियाचन के कारणों की जांच करना और दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना | 15 |

अध्याय—5

अन्य अभियाचन

| | | |
|-----|--|----|
| 47. | भू-राजस्व के अतिरिक्त अन्य मदों की वसूली का भार भी राजस्व अधिकारियों पर | 16 |
| 48. | राजस्व विभाग के नियन्त्रण में रहने वाले बांधों से सिचाई कर की मांग राजस्व विभाग द्वारा तथा सिचाई विभाग के नियन्त्रण में रहने वाले बांधों का सिचाई कर सिचाई विभाग द्वारा निर्धारित करना | 16 |
| 49. | सिचाई विभाग द्वारा निर्धारित सिचाई कर की मांग का पटवारियों द्वारा अंकन एवं वसूली प्रक्रिया | 16 |
| 50. | राजस्व विभाग के अधीन तालाबों/बांधों की सिचाई कर मांग राजस्व विभाग द्वारा तैयार करने की प्रक्रिया | 16 |
| 51. | सुधार कर | 16 |
| 52. | राजकीय भूमि स्थाई आवंटन एवं विक्रय मूल्य की मांग | 17 |
| 53. | अन्य विभागों से सम्बन्धित वसूली | 17 |

अध्याय—6

राजस्व लेखा पंजिकाएं तहसील कार्यालय

| | | |
|-----|--|----|
| 54. | तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा तहसील में रखी जाने वाली राजस्व लेखा पंजिकाएं | 17 |
| 55. | पटवारी द्वारा रकम बैंक में जमा कराने के लिये तहसील में अर्ज इसालि प्रस्तुत करना तथा तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा जांच कर रकम जमा करवाना | 18 |
| 56. | नान-व्रेकिंग उप-कोष में पटवारी द्वारा राशि जमा कराना | 18 |
| 57. | छोटी रकमों अर्थात् 100/- रुपये से कम राशि के चालान | 18 |
| 58. | दैनिक भू-राजस्व प्राप्तियों की चालानवार पंजिका | 19 |
| 59. | दैनिक प्राप्तियों का योग लगाना व दैनिक व मासिक योग पर तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर करना | 19 |
| 60. | विशेष हिदायते पंजिका रा० ले० सं० 7 के लिये | 19 |
| 61. | दैनिक विविध आय की चालानवार पंजिका | 12 |

| संख्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|---|--------------|
| 62. | ग्रामवार भू-राजस्व अभियाचन संग्रहण एवं अवशेष पंजिका | 21 |
| 63. | ग्रामवार भू-राजस्व विविध अभियाचन पंजिका | 22 |
| 64. | सिन्चाई एवं अन्य आय शीर्षकों की ग्रामवार अभियाचन, संग्रहण एवं अवशेष पंजिका | 22 |
| 65. | राजकीय धनराशि संग्रहण संबंधी रसीद पुस्तक पी० ३३ नियंत्रण पंजिका | 22 |
| 66. | राजस्थान भू-राजस्व अधिनियमों के अन्तर्गत अक्षुषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि की लगान वसूली पंजिका | 23 |
| 67. | सामयिक विवरण-पत्र | 24 |
| 68. | विवरण-पत्र के साथ अवशेषों के वर्गीकरण का मानचित्र भेजना | 24 |
| 69. | वर्ष की समाप्ति पर विवरण-पत्र के साथ अवशेष राशियों का वर्गीकरण भेजा जाना तथा कमी का विवरण भय आदेशों की प्रतियाँ भेजना | 24 |
| 70. | मासिक विवरण-पत्र के लिये “भास की अवधि” | 24 |
| 71. | सिन्चाई कर का मांग, संग्रह तथा अवशेषों का मासिक विवरण-पत्र | 24 |
| 72. | वर्ष की भासाप्ति पर मांग, वसूली तथा बकाया का विवरण तैयार करना | 25 |

अध्याय—7

वसूली लेखों का मिलान

| | | |
|-----|--|----|
| 73. | पटवारी द्वारा वसूली का कार्यक्रम तैयार करना | 25 |
| 74. | वसूली की गई राशि की सीमा व अवधि | 25 |
| 75. | पटवारी द्वारा सियाहा का मिलान | 25 |
| 76. | पियाहा मिलान पर तदनील राजस्व लेखाकार द्वारा हस्ताक्षर | 26 |
| 77. | सियाहा मिलान 2 माह से अधिक का न होने पर उप-खड अधिकारी को रिपोर्ट भेजना | 26 |

अध्याय—8

भू-राजस्व की वसूली

| | | |
|-----|---|----|
| 78. | राजस्थान टिनेस्सी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत भूमि की उपज देय लगान के लिये गिरवी होना | 26 |
| 79. | देय होने के दिन तक लगान न देने पर बकाया होना | 26 |

| संख्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|--|--------------|
| 80. | आसामियों से सीधा लगान वसूल करना | 26 |
| 81. | प्रत्येक भू-सम्पदा अथवा अधिक्षेत्र पर निर्धारित राजस्व अथवा लगान प्रथम प्रभार है | 27 |
| 82. | आसामी तथा सह-आसामी लगान चुकाने के लिये पृथक तथा संयुक्त रूप से लगान चुकाने के उत्तरदायी हैं | 27 |
| 83. | निर्धारित किश्तों तथा समय में भुगतान न किया गया राजस्व अथवा लगान बकाया राजस्व तथा लगान के रूप में देय हो जाता है | 27 |
| 84. | राजस्व अथवा लगान वसूली की पद्धति | 27 |
| 85. | चल-सम्पत्ति की कुर्की तथा बिक्री | 27 |
| 86. | दोषी के निदिष्ट क्षेत्र, पट्टी अथवा भू-सम्पदा की बिक्री | 27 |
| 87. | बकाया वसूली की बलवत्ती पद्धति के लिये प्रावधान | 28 |
| 88. | सामान्य उपायों के असफल होने पर ही बलवत्ती उपायों का प्रयोग किया जाता | 28 |
| 89. | बल सम्पत्ति की कुर्की तथा बिक्री के लिये ध्यान में रखने योग्य बातें | 28 |
| 90. | भू-राजस्व, ताणवी आदि की वसूली निर्धारित प्रक्रिया के अधीन ही होगी | 29 |
| 91. | वर्ष समाप्ति पर ग्रामवार बाकीदारों की सूची | 29 |
| 92. | आदेशिका शुल्क पंजिका | 29 |

अध्याय—9

राजस्व का प्रत्यार्पण

| | | |
|-----|---|----|
| 93. | राजस्व का प्रत्यार्पण | 29 |
| 94. | प्रत्यार्पण से पूर्व मूल अभिलेख तत्वाशु करना तथा उम पर प्रत्यार्पण का उल्लेख करना | 29 |
| 95. | अधिकृत व्यक्ति की रसीद पर ही प्रत्यार्पण | 29 |
| 96. | प्रत्यार्पण का वित | 30 |
| 97. | प्रत्यार्पण स्वीकृत करने की शक्ति | 30 |
| 98. | प्रत्यार्पण पंजिका | 30 |
| 99. | पंजिका का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण | 31 |

| संख्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|-----------|--------------|
| | अध्याय—10 | |

भू-राजस्व का निलम्बन, छूट व अपलेखन

| | | |
|------|---|----|
| 100. | राजस्थान अफेकटेड एरियाज (सर्पन्शन आफ प्रोसीडिंग्स) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत घोषित अभावग्रस्त क्षेत्र | 31 |
| 101. | राजस्थान टिरेसी अधिनियम के अन्तर्गत भू-राजस्व का निलम्बन एवं छूट | 31 |
| 102. | सहायता का माप दण्ड | 31 |
| 103. | जिलाधीश द्वारा लगान में स्थगन करने तथा छूट करने हेतु निर्गम लेने संबंधी सिद्धान्त | 32 |
| 104. | रिलीफ खतौनी की आवश्यकता | 32 |
| 105. | अभावग्रस्त घोषित न होने पर भी वसूली के स्थगन करने की जिलाधीश की शक्ति | 32 |
| 106. | भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियमों के अन्तर्गत जिलाधीश की शक्ति | 33 |
| 107. | अवसूली योग्य भू-राजस्व की राशि का वर्गीकरण | 33 |
| 108. | राजस्व में छूट, कमी तथा हानि को समाप्त करने के लिये सक्षम अधिकारी | 33 |
| 109. | स्वीकृतियों का क्रियान्वयन | 36 |
| 110. | निलम्बित राशि पर ब्याज वसूल नहीं होगा | 36 |
| 111. | खातेदार की मृत्यु होने पर ही अपलेखन प्रस्तावित न करना वरन् भूमि का प्रबन्ध करना | 36 |
| 112. | भूमि की वार्षिक काश्त के लिये नीलामी | 36 |
| 113. | निःस्वामी सम्पत्ति अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही होने पर तथा बाया भू-राजस्व का भुगतान होने पर भूमि सिवायचक दर्ज होना | 36 |
| 114. | भू-राजस्व में कमी के मामलों की पंजिका | 36 |
| 115. | राजस्व दावों को माफ करने का वार्षिक विवरण-पत्र | 37 |
| 116. | उक्त विवरण-पत्र की जिला कार्यालय में जांच कर महालेखाकार को भेजना | 37 |

अध्याय—11

राजकीय भूमि विक्रय/स्थाई आवंटन सेखा

| | | |
|------|---|----|
| 117. | स्थाई परियोजना में भूमि विक्रय/आवंटन | 37 |
|------|---|----|

| संख्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|--|--------------|
| 118. | भूमि विक्रय/स्थाई आवंटन आदेश व उनका पंजीयन | 37 |
| 119. | विक्रय/स्थाई आवंटन आदेशों की पत्रावली | 38 |
| 120. | ग्रामवार/चकवार व आसामीवार विक्रय/स्थाई आवंटन लेखा पंजिका—तहगील स्तर पर | 38 |
| 121. | ग्रामवार आसामीवार भूमि विक्रय/स्थाई आवंटन लेखा पंजिका—जिला स्तर पर | 39 |
| 122. | वार्षिक मांग (मूलधन व सूद) विवरण-पत्र | 39 |
| 123. | भूमि विक्रय मूल्य की वसूली | 40 |
| 124. | खातेदारी सनद | 41 |
| 125. | माफीदारान ग्राम सेवकों को कीमतन भूमि आवंटन (खातेदारी स्तरव) की पंजिका | 42 |
| 126. | विभिन्न नहरी परियोजना क्षेत्रों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अनुबंध | 43 |
| 127. | गंग नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन के मामलों में आवंटन पंजिका | 43 |
| 128. | मालकाना खरीददारी विवरण-पत्र | 43 |
| 129. | गंग नहर क्षेत्र में कश्मीरी/हरिजन विस्थापितों को आवंटित भूमि का मूल्य निर्धारण | 43 |
| 130. | गंग नहर एवं भाकरा क्षेत्र में लघु भूमि खण्ड के मूल्य की लेखा पंजिका | 43 |
| 131. | त्रैमासिक मानचित्र | 44 |
| 132. | राजस्थान उपनिवेशन (फल व शाक उद्यान) शर्तें, 1955 के अन्तर्गत नीलाम भूमि की लेखा पंजिका | 44 |
| 133. | विशिष्ट कार्य हेतु विशिष्ट व्यक्तियों को भूमि आवंटन | 44 |

अध्याय-12

राजस्थान लोक अभियाचन एवं वसूली भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली

| | | |
|------|---|----|
| 134. | अधिनियम नियम स्पष्ट है | 44 |
| 135. | पंजिकाएं | 44 |
| 136. | वसूली प्रमाण-पत्र का निष्पादन | 45 |
| 137. | भुगतान होने पर पंजिका में प्रविष्ट करना | 45 |
| 138. | निष्पादन अधिकारियों से मासिक सूचना | 45 |

| संख्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|--|--------------|
| 139. | निष्पादन कार्यवाही | 46 |
| 140. | देय ब्याज व प्रशासनिक व्यय | 46 |
| 141. | राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली | 46 |
| 142. | भारतीय राजस्व वसूली अधिनियम के अन्तर्गत मामलों को दर्ज करना | 46 |
| 143. | वसूली पत्रावली—जिला कार्यालय में | 46 |
| 144. | स्थगन आदेश—कार्यवाही समाप्त करना | 46 |
| 145. | समेकित विवरण-पत्र पर तहसीलवार वसूली की समीक्षा | 46 |
| 146. | भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भामलों में भी वर्णित प्रक्रिया प्रयुक्त होगी | 47 |
| 147. | तहसील स्तर पर बाला-बाला वसूली के मामले स्वीकार नहीं किये जायेंगे | 47 |
| 148. | मामला पंजी कुत होने पर विभागीय प्रतिनिधि नियुक्त करने हेतु सूचना | 47 |
| 149. | पेशी रजिस्टर | 47 |
| 150. | मूलधन, ब्याज अन्य शुल्क एक साथ वसूल करना—किष्ट करना | 47 |
| 151. | आदेशिका शुल्क | 47 |
| 152. | वसूली खर्च की जमा कायमी तथा ब्याज वसूल करना | 47 |
| 153. | वसूली की प्रगति की सूचना सम्बन्धित अधिकारी को देना | 48 |
| 154. | कुर्की के निष्पादन के भार निरीक्षक अभिलेख से नीते स्तर पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए | 48 |
| 155. | निरीक्षण करते समय अधिकारियों द्वारा देखना कि पत्रावली के पंजीयन में विलम्ब नहीं हुआ है | 48 |
| 156. | वसूली के प्रार्थन-पत्र वापिस मांगने पर कार्यवाही | 48 |
| | अध्याय—13 | |
| | आय-व्ययक अनुमान | |
| 157. | आय-व्यय के नियमावली—प्राय-व्यय की शीर्षक | 48 |
| 158. | अनुमान वर्तमान दरों पर आधारित हों | 49 |
| 159. | अनुमानों के अंक | 49 |
| 160. | अनुमान यथार्थिक हो | 49 |

X

| संख्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|--|--------------|
| 161. | अनुमान की जांच-वरिष्ठ राजस्व लेखाकार का कर्तव्य | 49 |
| 162. | वित्त विभाग के निर्देशों को ध्यान में रखना | 49 |
| 163. | अनुमान कुल आय में हो | 49 |
| 164. | वापिसी के लिये अनुमानों में प्रावधान | 49 |
| 165. | भू-राजस्व आय के अनुमान तैयार करने के लिये आवश्यक बातें | 49 |
| 166. | मुख्य लेखा शीर्षक व्यय | 51 |
| 167. | भूमि विक्रय मूल्य | 51 |
| 168. | अन्य कर और महसूल | 52 |
| 169. | बजट टिप्पणी | 52 |
| 170. | संशोधित अनुमान | 52 |
| 171. | स्वीकृत आय-व्ययक अनुमानों का तहसीलबार आवंटन | 52 |

अध्याय—14

तकावी लेखा

| | | |
|------|--|----|
| 172. | तकावी नियम | 52 |
| 173. | ऋण स्वीकृत करने की सीमा-शक्तियाँ | 52 |
| 174. | तकावी ऋण पत्रावली | 52 |
| 175. | ए० सी० बिल्स व डी० सी० बिल्स | 53 |
| 176. | तकावी उधारों का लेखा | 53 |
| 177. | मासिक व्यवहारों का उद्धरण | 53 |
| 178. | कार्य निष्पादन का सुनिश्चयन | 53 |
| 179. | लेखा पंजिका | 53 |
| 180. | तकावी मांग विवरण-पत्र | 54 |
| 181. | मांग विवरण की स्वीकृति एवं वसूली के लिये तहसील को वापिसी | 54 |
| 182. | उपयोग का तिमाही विवरण-पत्र पटवारी द्वारा प्रेषित करना | 54 |

| संख्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|--|--------------|
| 183. | स्वीकृत मांग विवरण-पत्र के अनुसार मांग पटबारियों को नोट करना—वसूली प्रगति का मूल्यांकन | 54 |
| 184. | तकाबी रजिस्टर ब्याज की संगणना व मांग विवरण-पत्रों की तहसीलदार/नायब-तहसीलदार द्वारा जांच तथा निरीक्षण अधिकारी द्वारा पालना सुनिश्चित करना | 54 |
| 185. | उधारों की छूट सम्बन्धी मामले | 54 |
| 186. | मासिक विवरण-पत्र | 54 |
| 187. | लेखा-शुद्धि | 54 |
| 188. | अन्य विभागों द्वारा आवंटित क्रृषि राशि का लेखा | 54 |
| 189. | सम्भावित आवश्यकताओं के अनुमान प्रेषित करना | 55 |
| 190. | वसूली पर मासिक रिव्यू प्रसारित करना | 55 |
| 191. | तिमाही मानचित्र व महालेखाकार के अंकों से विशेष राशि का मिलान | 55 |
| अध्याय—15 | | |
| पंचायत समिति तकाबी एवं कर | | |
| 192. | राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत नियम | 55 |
| 193. | पंचायत समिति तकाबी | 55 |
| 194. | चालानदार विवरण-पत्र | 55 |
| 195. | तकाबी मांग-पत्र अर्द्ध-वर्ष की समाप्ति पर टिप्पण कर वापिस पंचायत समिति को भेजना | 56 |
| 196. | पंचायत समिति कर | 56 |
| 197. | रसीद पुस्तकें | 56 |
| 198. | वसूली खर्ची | 56 |
| 199. | करों की ग्रामवार वसूली पंजिका | 56 |
| 200. | वसूली का दायित्व राजस्व अधिकारियों पर है | 56 |
| 201. | समंकित विवरण-पत्र एवं मासिक वसूली समीक्षा | 56 |
| द्वितीय भाग | | |
| अध्याय—16 | | |
| वरिष्ठ राजस्व लेखाकार एवं उसके कर्तव्य | | |
| 202. | जिला राजस्व लेखाकार | 57 |

| संख्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|---|--------------|
| 203. | जिला राजस्व लेखाकार की नियुक्ति <small>(प्रतिवर्षीय)</small> | 57 |
| 204. | बेतन | 57 |
| 205. | पदोन्नति दण्ड एवं स्थानान्तरण | 57 |
| 206. | जिला राजस्व लेखाकार के कर्तव्य | 57 |

अध्याय—17

राजस्व लेखा पंजिकाएँ एवं विवरण-पत्र

| | | |
|------|--|----|
| 207. | पंजिकाएँ | 59 |
| 208. | भू-राजस्व प्राप्तियों की मासिक संकलन पंजिका | 59 |
| 209. | शुद्धि की सूचना तत्काल तहसीलदार को देना | 59 |
| 210. | मासिक प्राप्तियों का विवरण-पत्र | 59 |
| 211. | ग्रन्थ आय शीर्षकों का मासिक विवरण-पत्र | 60 |
| 212. | सामयिक विवरण-पत्र | 60 |
| 213. | विभागीय आंकड़ों का कोष के आंकड़ों से मिलान | 60 |
| 214. | आय शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्तियों का सारांश | 60 |
| 215. | भू-राजस्व अभियाचन संग्रह एवं अवशेष | 60 |
| 216. | विवरण-पत्रों की जांच | 60 |
| 217. | विवरण-पत्रों का संकलन | 61 |
| 218. | अंकों की सत्यता हेतु वरिष्ठ राजस्व लेखाकार उत्तरदायी है | 61 |
| 219. | सिवाई कर आदि शीर्षकों के अन्तर्गत अभियाचन संग्रह एवं अवशेष के मासिक तथा वार्षिक विवरण-पत्र | 61 |
| 220. | मासिक प्राप्तियों का विवरण | 61 |
| 221. | वसूली में पटवारी वर्ग को उत्साहित करने के उद्देश्य से पारितोषिक देना। | 62 |
| 222. | वसूली में ढील बरतने वालों के विएद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही | 62 |
| 223. | पारितोषिक वितरण हेतु आवश्यक बजट प्रावधान | 62 |
| 224. | तहसीलदार, ग्रामवार, पटवार हूल्केवार वसूली का वार्षिक विवरण-पत्र | 62 |

| संख्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|----------------------------|--------------|
| 225. | जिलाधीश द्वारा अध्ययन | 62 |
| 226. | राजस्व मण्डल को सूचनाएँ | 62 |
| 227. | राजस्व का प्रत्यार्पण | 63 |
| 228. | राजस्व प्रत्यार्पण पंजिका | 63 |
| 229. | भू-राजस्व एवं अन्य अभियाचन | 63 |

अध्याय—18**बरिष्ठ राजस्व लेखाकार द्वारा तहसील एवं पटवार****राजस्व लेखा का निरीक्षण**

| | | |
|-------|--|----|
| 230. | जिला राजस्व लेखा निरीक्षण | 63 |
| 231. | भ्रमण कार्यक्रम | 63 |
| 232. | निरीक्षण के समय जांच करने योग्य बातें | 63 |
| 233. | पटवार लेखा निरीक्षण | 68 |
| 234. | निरीक्षण में उल्लेखनीय विषय जिन पर ध्यान दिया जाय | 63 |
| 234क. | गत निरीक्षणों की अनुपालना | 69 |
| 235. | तहसीलदार से विचार विमर्श | 69 |
| 236. | निरीक्षण वृत्तान्त | 69 |
| 237. | निरीक्षणों का सारांश | 69 |
| 238. | निरीक्षण पंजिका | 69 |
| 239. | निरीक्षक, राजस्व लेखा जिला राजस्व लेखाकार निरीक्षणों के परिणाम | 69 |
| 240. | राजस्व हानि एवं न्यून प्राप्तियों का विवरण-पत्र | 69 |

अध्याय—19**उच्च अधिकारियों द्वारा जिला राजस्व लेखा का निरीक्षण**

| | | |
|------|--|----|
| 241. | निरीक्षण अधिकारी | 69 |
| 242. | अध्यक्ष, सदस्य, राजस्व मण्डल द्वारा निरीक्षण | 70 |

| संख्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|---|--------------|
| 243. | वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्व मण्डल द्वारा निरीक्षण | 71 |
| 244. | वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा राजस्व लेखा की भी जांच | 71 |
| 245. | निरीक्षण वृत्तान्त | 72 |
| 246. | जिलाधीश अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा निरीक्षण | 72 |
| 247. | राजस्व लेखा शाखा के निरीक्षण में जांच करने योग्य बिन्दु | 72 |
| 248. | प्रभारी अधिकारी द्वारा निरीक्षण | 74 |
| 249. | त्रैमासिक निरीक्षण में देखने योग्य मुख्य बिन्दु | 74 |
| 250. | निरीक्षण वृत्तान्त | 75 |
| 251. | निरीक्षक, राजस्व लेखा द्वारा निरीक्षण | 75 |
| 252. | महालेखाकार कार्यालय जांच दल द्वारा निरीक्षण | 75 |
| 253. | निरीक्षण पंजिका | 75 |
| 254. | विशेष मामले | 75 |
| 255. | निरीक्षण वृत्तान्तों की अनुपालना | 75 |
| 256. | अनुपालना प्रतिवेदन भेजने की निर्धारित अवधि | 75 |
| 257. | अनुपालना प्रतिवेदन की जांच | 76 |
| 258. | निरीक्षण वृत्तान्तों की पत्रावलियाँ | 76 |

तृतीय भाग

अध्याय—20

निरीक्षक, राजस्व लेखाधिकारी एवं उसके कर्तव्य

| | | |
|------|---|----|
| 259. | नियुक्ति, कार्य क्षेत्र एवं महत्वपूर्ण भूमिका | 77 |
| 260. | मुख्यालय | 77 |
| 261. | सहायक कर्मचारी | 77 |
| 262. | नियुक्ति | 77 |
| 263. | वेतन | 77 |

| संख्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|--|--------------|
| 264. | भ्रमण कार्यक्रम | 77 |
| 265. | निरीक्षण वृत्तान्त पंजिका | 77 |
| 266. | राजस्व हानियों एवं न्यून प्राप्तियों की पंजिका | 77 |
| 267. | निरीक्षणों का लैमासिक विवरण-पत्र | 77 |
| 268. | दिनचर्या बही | 77 |
| 269. | सरकारी धनराशि का अपहरण एवं दुरुपयोग के मामले | 78 |
| 270. | विशेष जांच | 78 |
| 271. | ग्रामों में जाना | 78 |
| 272. | आन्तरिक जांच दल का पर्यवेक्षण | 78 |
| 273. | जिला राजस्व लेखाकार का निरीक्षण | 79 |
| 274. | जिला राजस्व लेखा निरीक्षण के लिये मुख्य बिन्दु | 79 |
| 275. | जिला कार्यालय के सामान्य लेखा कार्य का निरीक्षण | 82 |
| 276. | तहसील राजस्व लेखा कार्य का निरीक्षण | 82 |
| 277. | विस्तृत जांच हेतु आवश्यक बिन्दु | 83 |
| 278. | पटवार लेखा निरीक्षण | 84 |
| 279. | उपनिवेशीन क्षेत्रों में सहाय कर्त्ता राजस्व लेखाधिकारी द्वारा जांच | 85 |
| 280. | न्यून निर्धारण | 85 |
| 281. | अनुपालना प्रतिवेदन का परीक्षण | 85 |

अध्याय—2।

राजस्व अधिकारियों के कर्तव्य

| | | |
|------|---|----|
| 282. | राजस्व लेखा संधारण से संबंधित मुख्य कर्तव्य | 85 |
| 283. | राजस्व मण्डल | 85 |
| 284. | वरिष्ठ लेखाधिकारी | 87 |
| 285. | जिलाधीश | 88 |
| 286. | उप-जिलाधीश | 89 |

| संख्या | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--|---|--|
| 287. | उप-जिलाधीश, सब-डिविजन की समस्त प्रकार की शतप्रतिःत वसूली के लिये उत्तरदायी हैं | 89 |
| 288. | वसूली कार्य हेतु तहसील का चयन | 89 |
| 289. | तकावी लेखा व वसूली हेतु उप-जिलाधीश की महत्वपूर्ण भूमिका | 90 |
| 290. | उप-जिलाधीश द्वारा अधीनस्थ तहसीलों का निरीक्षण | 90 |
| 291. | तहसीलदार/नायब-तहसीलदार | 91 |
| 292. | तहसीलदार के कर्तव्य | 91 |
| 293. | तहसील राजस्व लेखा का तहसीलदारद्वारा निरीक्षण | 94 |
| 294. | पंचायत समिति ऋणों की वसूली | 94 |
| 295. | पंचायत समिति कर | 94 |
| 296. | राजस्थान लोक अभियाचन वसूली अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत वसूली के मामले | 95 |
| 297. | भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वसूली | 95 |
| अध्याय—22 | | |
| राजस्व अभिलेख का परीक्षण एवं नष्टीकरण | | |
| 298. | राजस्व लेखा अभिलेख परीक्षण एवं नष्टीकरण अवधि | 95 |
| 299. | अभिलेखागार में अभिलेख जमा कराने में राजस्व न्यायालय नियमावली में निर्धा- रित प्रणाली का अनुसरण करना होगा | 102 |
| 300. | प्रावधानों के परिपालन में अधिकारियों का कर्तव्य | 102 |
| 301. | अभिलेख का नष्टीकरण | 102 |
| प्रपत्र पंजिकायें एवं विवरणिकायें | | रा० ले० स० 1 से 57 पृष्ठ 103 से 134 । |

परिशिष्टों की सूची

| परिशिष्ट | संख्या | प्रमुच्छेद संख्या | पृष्ठ संख्या |
|--|---------|----------------------|--------------|
| 1. राजस्थान भू-राजस्व (तालाब, नदी पेटा भूमि के काश्त हेतु आवंटन) नियम, 1961 | 25 | संख्या | 185 |
| 2. राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम, 1970 | 33 | संख्या | 187 |
| 3. नामान्तरकरण शुल्क तालिका | 34(3) | संख्या | 192 |

| परिशिष्ट संख्या | | अनुच्छेद संख्या | पृष्ठ संख्या |
|--------------------|--|--------------------|--------------|
| 4. | राजस्थान भू-राजस्व (राजकीय अधिकारियों के लिए भूमि का उपयोग के लिए आवंटन) नियम, 1965 .. . | 35(1) | 194 |
| 5. | राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 .. . | 36(1) | 196 |
| 6. | राजस्थान भू-राजस्व (नमक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1967 .. . | 38(1) | 198 |
| 7. | राजस्थान भू-राजस्व (भूगतान, आंकलन, प्रत्यापण, वसूली) नियम, 1958 .. . | 39 व 37 | 200 |
| 8. | भूमि एकीकरण शूलक तालिका .. . | 14 | 220 |
| 9. | राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) अधिनियम, 1960 .. . | 42 | 226 |
| 10. | राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) नियम, 1960 .. . | 42 | 229 |
| 11. | राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अध्याय 10) .. . | 81 | 233 |
| 12. | राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम, 1955 (नियम 26 से 41) .. . | 101 | 242 |
| 13. | विभिन्न नहरी परियोजनाओं में सरकारी भूमि विक्रय/स्थाई आवंटन (नीलामी) सम्बन्धी नियमों के लेखा सम्बन्धी प्रावधानों का सारांश .. . | 126 | 246 |
| 14. | आय-व्ययक शीर्षक .. . | 157 | 287 |
| 15. | राजस्थान एमीकल्चरल लॉन तकारी (नियम), 1958 .. . | 172 | 294 |
| 16. | सामयिक विवरण-पत्रों की तालिका .. . | 212 | 319 |
| 17. | भू-राजस्व वसूली प्रोत्साहन सम्बन्धी महत्वपूर्ण सरकारी आदेश .. . | 221 | 329 |
| | महत्वपूर्ण विज्ञप्तियाँ एवं राज्यादेश .. . | 330 से 344 | |

राजस्थान राजस्व लेखा मैन्युअल, 1972

प्रथम भाग

अध्याय-१ (क)

प्रारम्भिक

राजस्थान राजस्व लेखा मैन्युअल द्वारा राजस्थान में राजस्व आय प्राप्तियों अथवा अन्य वगूलियों जिनका नियंत्रण व निरीक्षण अध्यक्ष, राजस्व मण्डल द्वारा किया जाता है अथवा जिनकी वधूली राजस्व विभाग के माध्यम से होती है, से संबंधित लेखा संधारण एवं एकीकरण तथा निरीक्षण के किंवा राज्य सरकार की स्वीकृति से नियमावली प्रचलित की गई है।

1. (अ) संक्षिप्त शोर्वंश और ग्रामपाल— यह नियमावली राजस्थान राजस्व द्वारा मैन्युअल, सन् 1972 कहायेगा और राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राजस्व में बार्टिंग तथा नियमों में प्रभावशील होगा।

(आ) विस्तार—यह समस्त राजस्थान में प्रभावशील होगा।

(इ) वार्षिकीय—इस मैन्युअल में जब तक विषय या प्रसंग द्वारा अन्यथा और न हो, प्रत्येक अष्टद एवं वार्षिकीय का शर्त वही होगा जो संबंधित प्रसंग में उन्मत्तिर्था अधिनियम व नियमों में परिभासित है।

(ई) परिभाषायें—(क) वर्गिष्ठ लेखाधिकारी में तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा राजस्व मण्डल में नियुक्त लेखाधिकारी से है, जो राजस्थान लेखा सेवा में वर्गिष्ठ किए अस्तित्व के हैं।

(ख) ‘निरीक्षक, राजस्व लेखा’ से अभिप्राय उस राजप्रक्रिया अधिकारी में है जो राजस्थान अधीनस्थ राजस्व लेखा सेवा नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष, राजस्व मण्डल द्वारा नियुक्त किया जाते तथा वर्तमान में कार्यरत निरीक्षक, राजस्व लेखा भी सम्मिलित हैं।

(ग) ‘जिला राजस्व लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार’ से अभिप्राय कमज़ोर उन अधीनस्थ अधिकारियों से है जो राजस्थान अधीनस्थ राजस्व लेखा सेवा नियमों के अन्तर्गत नियुक्त किये जाते तथा वर्तमान में कार्यरत योग्यता प्राप्त जिला राजस्व लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भी सम्मिलित हैं।

(उ) खण्डन—इस मैन्युअल के प्रभावशील होने पर राज्य सरकार, राजस्व मण्डल, तथा अन्य अधिकारियों द्वारा पूर्व में प्रचलित आदेश, स्थायी आदेश, निर्देश, परिपत्र तथा अन्य प्रणालीनिक आज्ञायें उस सीमा तक जिनका उल्लेख इस मैन्युअल में किया गया है, छोटित माने जानेंगे। इस मैन्युअल के प्रावधानों को नियमी भी गांति प्रभावित नहीं करेंगे।

अध्याय-१

तहसील राजस्व लेखाकार एवं उपके कार्य

१. तहसील राजस्व लेखाकार—तहसील स्तर पर भू-राजस्व तकावी क्रण व अन्य राजस्व आय का व्यवस्थित रूप में लेखा रखने हेतु प्रत्येक तहसील में एक अथवा एक से अधिक तहसील राजस्व लेखाकार होगा। राजस्व लेखा कार्यभार की मात्रा के अनुपात से प्रत्येक तहसील के लिए राजस्व लेखाकार के पदों की संख्या राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित की जायेगी। तहसील राजस्व लेखाकार की सहायतार्थ एक अथवा एक से अधिक लिपिक यथा आवश्यक महायक के रूप में जिलाधीश द्वारा नियुक्त हिये जावेगे।

तहसील में तहसील राजस्व लेखाकार के आवश्यक पदों का सूचन करने में निम्ननिबित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा—

- (१) ग्रामों की संख्या
- (२) पटवार मण्डलों की संख्या
- (३) चालान (अर्ज इसर्ट) की संख्या
- (४) बकाया वसूली के अभियोगों की संख्या व अपलेखन आदि के भागों
- (५) तकावी खातों की संख्या
- (६) विशेष लेखा कार्यभार जैसे सिवाई कर, सुधार कर, पंचायत समिति क्रण एवं कर इत्यादि।

सामान्यतः तहसील के 100 ग्रामों में 2500 अर्ज इसर्ट (चालान) व 300 वसूली अपलेखन आदि की पत्रावतियां तथा 1000 तकावी खातों के लिए एक तहसील राजस्व लेखाकार तथा एक कनिष्ठ लिपिक नियुक्त होंगे। यदि कार्य की मात्रा अधिक हो तो 200 ग्रामों, 4000 अर्ज इसर्टों, 500 वसूली अपलेखन आदि की पत्रावतियां तथा 2000 तकावी खातों के लए एक अतिरिक्त कनिष्ठ लिपिक और नियुक्त किया जायेगा। उपरोक्त सामान्य से अधिक कार्यभार होने की दशा में दो कनिष्ठ लिपिकों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त तहसील राजस्व लेखाकार की नियुक्ति की जायेगी।

२. जिन तहसीलों में एक से अधिक तहसील राजस्व लेखाकार के पद स्वीकृत हैं अथवा भविष्य में स्वीकृत हो तो उनके मध्य कार्य विभाजन तहसीलदार द्वारा जिलाधीश की पूर्व सहमति से किया जावेगा। वरिष्ठ तहसील राजस्व लेखाकार राजस्व लेखा शाखा का प्रभारी राजस्व लेखाकार होगा।

३. नियुक्ति—तहसील राजस्व लेखाकार की नियुक्ति “राजस्थान अधीनस्थ राजस्व लेखा सेवा नियमों” अनुसार अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान द्वारा की जावेगी।

४. वेतन—तहसील राजस्व लेखाकारों की वेतन शुरूखला व भत्ते वे ही होंगे जो सरकार द्वारा समय पर स्वीकृत किये जावेंगे।

५. पदोन्नति, दण्ड व स्थानान्तरण आदि “राजस्थान अधीनस्थ राजस्व लेखा सेवा नियमों” अनुसार किये जावेंगे।

कनिष्ठ राजस्व लेखाकार के कर्तव्य

6. सामान्य:—इस नियमावली में बताये गये उसके निर्धारित कर्तव्यों के प्रतिरिक्त किसी भी तहसील राजस्व लेखाकार को किसी अन्य कार्य पर राजस्व मण्डल की पूर्व सहमति बिना नहीं लगाया जावेगा।

7. कनिष्ठ राजस्व लेखाकार के कर्तव्य निम्ननिवित हैं:—

(1) भू-राजस्व मांग का निर्धारण व संकलन:—

- (क) स्थाई भू-राजस्व
- (ख) अस्थाई भू-राजस्व व मालकाना आरजी काश्त व सरफेस रेट
- (ग) भू-राजस्व पर अधिभार (सरचार्ज)
- (घ) विविध भू-राजस्व
 - 1. प्राकृतिक उपज की आय
 - 2. नामान्तरकरण शुल्क
 - 3. प्रीमियम व शास्ति
 - 4. सनद शुल्क
 - 5. किराया चूना व इंट भट्टा
 - 6. श्रीदोगिक लीज व पेट्रोलियम भूमि का किराया
 - 7. नमक के क्षेत्र का किराया
 - 8. प्रतिलिपि (भू-अभिलेख) शुल्क
 - 9. आदेशिका शुल्क
- (ङ) भूमि एकीकरण शुल्क
- (च) भूमि विक्रय, स्थाई आवंटन व नियमन से विक्रय मूल्य
- (छ) सरकारी सम्पत्तियों के विक्रय आदि से आय

(2) बंचायत समिति कर व उप-कर मांग

(3) तकावी कृष्णों की मांग का निर्धारण

- 1. साधारण तकावी
- 2. अकाल तकावी
- 3. विविध अधिक अवृत्त उपजाओं प्रोजेक्ट
- 4. पर्म्परा सेट्स का अधिष्ठापन
- 5. फर विकास
- 6. भूमि विकास

७. मृदा (soil) संरक्षण

८. पर्शियन क्लील

९. कूप निर्माण

१०. नल कूप

११. भूतपूर्व जागीरदारों के पुनर्वास सम्बन्धी क्र.ग

१२. ट्रेक्टर क्रय हेतु क्र.ग

१३. बाढ़ व ग्रमिन पीड़ितों के क्र.ग

१४. सामुदायिक विकास योजना तकावी क्र.ग

१५. बेरोजगार स्वर्णकारों को क्र.ग

१६. विस्थापित अवितयों को क्र.ग:—

(क) पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित

(ख) बर्मा से आये विस्थापित

१७. कृषि उपकरण क्र.ग

१८. स्थानीय लादों के संसाधनों के विकास हेतु क्र.ग

१९. राजस्थान नगर परियोजना क्षेत्र में विकास हेतु क्र.ग

२०. राजनीतिक पीड़ितों को क्र.ग

(4) उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि के इथाई ग्रावटन विक्रय व नियधन से भूमि मूल्य की मांग का निर्धारण।

(5) अन्य विभागीय अभियाचनों का संकलन:—

(क) सिंचाई कर

(ख) सुधार कर

(ग) धोरा निर्माण शुल्क

(6) उक्त समस्त अभियाचनों को संकलित कर ग्रामवार वर्गीक लेखा पंजिकाओं में अभिनिवित करना।

(7) राजस्व लेखा सम्बन्धी विभिन्न पंजिकाएं जो इस नियमावली में निर्धारित की गई हैं, का संधारण।

(8) राजस्थान कृषि क्र.ग (तकावी) नियम, 1958 के अन्तर्गत निर्धारित तकावी लेखा रखना:—

(क) क्र.ग पत्रावलिया

(ख) विभिन्न तकावी क्र.गों के क्रणीवार व वर्षवार पृथक पृथक खाते रजिस्टर प्रपत्र सं० ७ पर रखना।

(ग) प्रत्येक क्र.गों की अर्धवार्षिक मांग नियमानुसार निर्धारित समय पर प्रपत्र सं० ११ पर तैयार कर स्वीकृत करना।

- (८) तकावी क्रणों के विवरण एवं वधूतियों के मार्गिक व बाषिक गारांग प्रपत्र सं. ४ व ९ पर तैयार करना ।
- (९) तकावी क्रणों व व्याज की वैतिक (वधूतियाँ) की पंजिकाओं का संधारण
- (१०) तकावी क्रणों के मदबार सामयिक विवरण-पत्र तैयार कर प्रस्तुत करना ।
- (११) पंचायत समिति तकावी क्रण, करों व करों की वधूली का लेखा रखना व सामयिक विवरण-पत्र प्रस्तुत करना ।
- (१२) उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि के कुषि हेतु स्थाई आवंटन, विक्रम, व नियमन में उल्लङ्घन मूल्य का लेखा रखना (तत्सम्बन्धी पंजिकाएँ व विवरण इस नियमावली के अध्याय-११ में वर्णित है) ।
- (१३) पटवारियों द्वारा वसूल राशि को कार्यालय कोष व उपकोष में जमा करने हेतु प्राप्त चालानों (अर्ज इरसालों) की संलग्न रसीदात से मिलान कर जांच करना व सम्बन्धित आय लेखा शीर्षक अंकित करना ।
- (१४) ग्रामबार पटवार स्थानों में अंकित वधूल राशियों का तहसील लेखा से मार्गिक मिलान करना ।
- (१५) भू-राजस्व निलम्बन व छूट का क्रियान्वयन
- (१६) भू-राजस्व मांग की कमी व अपलेखन के मामले
- (१७) भू-राजस्व एवं अन्य मांगों की वधूली स्थगन के मामले
- (१८) राजस्व प्रत्यापेण (रिफण्ड) के मामले
- (१९) भू-राजस्व/तकावी व अन्य आय शीर्षकों के बाषिक आय व्ययक (बजट) अनुमान तैयार करना
- (२०) जिला राजस्व लेखाकार/निरीक्षक राजस्व लेखा/वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्व मण्डल तथा राजस्व लेखा से सम्बन्धित महालेखाकार, जांच दल तथा अन्य उच्च राजस्व अधिकारियों के अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना कर प्रस्तुत करना ।
- (२१) वधूली वर्षे की समाप्ति पर विभिन्न अभियाचनों के अवशेषों का ग्रामबार पटवार अभिलेखों का तहसील लेखा से मिलान करना, अवशेष राशियों की वर्षवार विगत व वर्गीकरण निर्धारित प्रपत्रों पर तैयार कर प्रस्तुत करना ।
- (२२) तहसीलदार व नायब-तहसीलदार की अनुपस्थित में तहसील उपकोष के कार्य का निष्पादन करना ।
- (२३) अन्य कार्य जो राजस्व मण्डल अथवा जिलाधीश द्वारा सौंपा जावे

भू-राजस्व अधिकार

8. विभागीय अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि राजस्व की विभिन्न प्रकार की मांगों का निर्धारण निश्चित समय पर सही सही किया जा रहा है तथा उनमें हानि नहीं हो रही है। राजस्व की मांग वह वार्षिक मांग है जो भूमि में निहित किसी हित या उसके उपयोग के अन्बन्ध में किसी भी लेखे यज्य सरकार को सीधे आसामी द्वारा देय होती है। राजस्व की विभिन्न प्रकार की मांगों वा समय पर निर्धारण होना राजस्व लेखा का महत्वपूर्ण अंग है।

9. राजस्व की मांगों का वर्गीकरण उनके स्वभाव के अनुसार तीन वर्गों में विया जा गता है। भूमि में सम्बन्धित स्थाई रूप से वस्तुल योग्य मांग स्थायी भू-राजस्व में वर्गीकृत होती है। ये वे मांगें हैं जो वर्ष के पूर्व में ही निश्चित करनी जाती हैं और ये स्थाई होती हैं तथा साधारण तौर पर इनमें परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं होती है। जैसे धानिल भूमि से सम्बन्धित खातेदार की भूमि के लगान की मांग। भूमि का लगान भू-प्रबन्ध या बन्दोबस्त विभाग द्वारा नियमानुसार उस भूमि के वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा आसामी द्वारा धारित खाते की भूमि पर उसके वर्गीकरण के अनुसार लगान की गणि कर गणना की जाकर उसके खाते में दर्ज कर दी जाती है। जब तक अन्य कोई विपरीत सक्षम आदेश न हो यह रागि परिवर्तित नहीं होगी और इसी कारण इसे स्थाई भू-राजस्व की मांग में सम्मिलित किया जाता है।

10. भू-राजस्व की मांग जहाँ राजस्व या लगान नियत नहीं है तथा हर फसल तथा वर्ष में उत्तरता चढ़ता रहता है, अस्थाई मांग है। वे क्षेत्र जो किसी आसामी के खाते में सम्मिलित नहीं हैं अथवा विलोक्य ज्ञात हैं तथा नदी एवं तालाब के पेटों पर आवंटन स्वीकृत होने से की गई खेती से सम्बन्धित भूमि का लगान अस्थाई लगान है। गंगानगर जिले में पक्की फसलों के क्षेत्र पर लगान वसूल किया जाता है जो “होई बोई” प्रथा कहलाती है। परिणामस्वरूप मांग निर्धारण प्रत्येक फसल व वर्ग में उत्तरता चढ़ता रहता है। मोटे तौर पर अस्थाई मांग को दो प्रकार से विभक्त किया जा सकता है:—

- (क) प्रथम प्रकार की वे मांग जो स्थाई तौर पर स्थाई भू-राजस्व किस्तबन्दी में सम्मिलित नहीं हैं। फसल कूत करके लगान का निर्धारण इसका उदाहरण है। गंगानगर जिले में “होई बोई” कर निर्धारण भी इसी वर्ग में सम्मिलित होगा। पेटा तालाब व नदी के अस्थाई आवंटन में निर्धारित राजस्व मांग भी इसी वर्ग में सम्मिलित होगी।
- (ख) दूसरे प्रकार की वे मांगें हैं जो अस्थाई तौर पर स्थाई भू-राजस्व मांग की किस्तबन्दी में सम्मिलित नहीं की जाती हैं। सिवाय चक्र आवंटित भूमि के लगान तथा अन्य नियमानुसार स्वीकृत अनुदान तथा लीज भूमि के लगान की मांग जब तक नामान्तरकरण होकर स्थाई मांग की किस्तबन्दी में सम्मिलित न की जावे, अस्थाई भू-राजस्व की मांग में वर्गीकृत होगी।
- (ग) नहर परियोजना क्षेत्रों में जहाँ अनधिवासित भूमि काल हेतु अस्थाई रूप से आवंटित की जाती है अथवा अस्थाई आवंटनों का वार्षिक नवीनीकरण किया जाता है पर भू-राजस्व के अतिरिक्त राजस्थान कोलोनाईजेशन (टेम्परेशन कलटीवेशन लीजेज) कन्डीशन्स, 1955 की दर्ता ६ में निर्धारित दर से वसूल योग्य मालकाना की मांग अस्थाई भू-राजस्व के साथ ही निर्धारित होगी।

11. इनके अतिरिक्त सरफ़े स रेट की जगह कायमी भी अस्थाई मांग है। यरफ़ेस रेट एनिज वायं हेतु स्वीकृत लीज में वास्तविक प्रयोग में आई हुई भूमि पर स्वीकृत दर में निर्धारित किया जाता है। यदि लगान निर्धारित नहीं है तो समीपवर्ती भूमि की दर से लगान निर्धारित किया जाता है।

अस्थाई भू-राजस्व मांगों का स्थाई भू-राजस्व मांग में सम्मिलित करना :

12. राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1957 वा प्रतिस्थापित नियम; 1970 व अन्त नियमों के अन्तर्गत आवंटित भूमि के लगान का निर्धारण अस्थाई भू-राजस्व मांग की मद में

निया जावेगा निल्जु आवंटन से सम्बन्धित नामान्तरकरण तस्वीक होने पर भूगि के नगान ना निर्धारण स्थाई भू-राजस्व के मद में किया जावे न कि अस्थाई भू-राजस्व के मद में, क्योंकि यह आवंटन अतिरिक्त अधिकार प्रदान करने हेतु किये जाते हैं। इसी प्रकार अनाधिकृत अभिधारण के विनियमन के फलस्वरूप भी गैर खातेदारी के नामान्तरकरण तस्वीक होने पर नगान स्थाई भू-राजस्व के मद में निर्धारित किया जावेगा।

अन्य विविध प्रकार की राजस्व मांगों का अभियाचन :

13. स्थाई राजस्व तथा अस्थाई राजस्व अभियाचन के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार की राजस्व मांगें विविध मांगें हैं। ये वे मांग हैं जो वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित नहीं की जा सकती तथा जैसे जैसे सक्षम अधिकारीगण की आज्ञा प्राप्त होती है मांग निर्धारण होती है। प्राकृतिक उपज के ठेकों से प्राप्त आय विविध मांग का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त इस मद में अतिक्रमियों पर आरोपित पेनलटी (जास्ति) की मांग भी आवंटन होने पर गैर खातेदारी की सनद देने के फलस्वरूप सनदशुल्क, कीमत वृक्ष व अन्य निर्माण इत्यादि वी मांग इस प्रकार की आय में सम्मिलित होंगी। प्राकृतिक पैदावार होने की जिस ग्राम में सम्भावना होती है उससे सम्बन्धित पत्तावली राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 226 के अन्तर्गत उपज क्रतु के प्रारम्भ से पूर्व ही उचित समय पर ग्रामवार तैयार की जाकर, तथा नियत समय पर नीलामी आदि कर यह मांग निर्धारित की जावेगी। इसी प्रकार भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमियों पर आरोपित पेनलटी की मांग पत्तावली के आधार पर कायम की जावेगी।

14. यह जात कर लेने के पश्चात् कि भू-राजस्व मांग का क्या स्वरूप है राजस्व लेखाकार को मांग अभियाचन उपरोक्तानुसार वर्गीकृत करके सक्षम अधिकारी से मांग निर्धारण की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी मांग अभियाचन के मानचित्र तैयार करने के लिये इसी अध्याय के अन्तर्गत प्रावधानों का पालन किया जावेगा।

स्थाई भू-राजस्व मांग का निर्धारण एवं स्वीकृति :

15. प्रत्येक वर्ष माह मार्च में तहसीलदार नये वर्ष के लिए दुपरता में भू-राजस्व स्थाई मांग की किस्तबन्दी प्रपत्र राज० ले० संख्या 1 पर तैयार करके स्वीकृति के लिए जिलाधीश को प्रेषित करेगा। इसमें गत वर्ष की अपेक्षा हुई समस्त कमी/वृद्धि के ग्रौचित्य का सत्यापन कर लेने के पश्चात् तहसीलदार मांग में हुई कमी से सम्बन्धित आदेशों की प्रतियां एवं वृद्धि से सम्बन्धित स्वीकृत ग्रामवार नामान्तरकरणों की तालिका जिसमें नामान्तरकरण संख्या स्वीकृति की तिथि, क्षेत्रफल, देय वार्षिक राजस्व, एवं प्रभावी वर्ष जब से राजस्व/नगान देय है, अंकित होगी, सहित किस्तबन्दी जिलाधीश कार्यालय में प्रेषित करेगा। उक्त ग्रामवार नामान्तरकरण तालिका व कमी के आदेशों की प्रतिलिपि आफिस कानूनगोद्वारा तैयार की जावेगी। जिला कार्यालय में ये प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला राजस्व लेखाकार मांग के अंकों की तुलना गत वर्ष की मांग के अंकों से करेगा तथा देखेगा कि भू-राजस्व की स्थाई मांग का निर्धारण सही किया गया है। वह ग्रामवार प्रत्येक कमी वृद्धि के ग्रौचित्य की जांच कर टिप्पणी सहित किस्तबन्दी स्वीकृति के निए जिलाधीश को प्रस्तुत करेगा। मांग की अंतिम स्वीकृति जिलाधीश द्वारा 15 अप्रैल तक तहसीलदारों को भेज दी जावेगी।

16. जिला कार्यालय में किस्तबन्दी की जांच करते समय मुख्यतः यह देखा जावेगा कि—

- (1) मांग, गत वर्ष की स्वीकृत मांग के अंकों के अनुसार है,
- (2) कमी की हालत में सक्षम अधिकारी के आदेशों की प्रति संलग्न है,
- (3) यदि मांग में वृद्धि है तो उसका कारण तथा मांग अतीत प्रभाव से कायम करसी गई है, तथा
- (4) किसी मांग के छूट जाने या हानि होने की सम्भावना नहीं है।

17. जिला कार्यालय में प्रेषित करने से पूर्व मांग की किस्तबन्दी की पूरी पूरी जांच सक्ति अधिकारी आय की जावेगी तथा तहसीलदार कुल तहसील की मांग के सही होने का प्रभागीकरण कर मानचित्र जिला कार्यालय में प्रेषित करेगा।

18. तहसीलदार 1 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले नवीन वर्ष के लिए स्थाई भू-राजस्व की मांग की किस्तबन्दी जिलाधीश को 31 मार्च तक प्रेषित करेंगे। आवश्यकतानुसार जिलाधीश राजस्व मण्डल को 15 अप्रैल तक अंतिम स्वीकृति के लिये किस्तबन्दी प्रेषित करेंगे। जिलाधीश राजस्व मण्डल को और राजस्व मण्डल राज्य सरकार को किस्तबन्दी अंतिम स्वीकृति के लिए उस ही स्थिति में भेजेंगे जबकि तहसील की कुल मांग में गत वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 25 प्रतिशत तक एवं 25 प्रतिशत से अधिक कमी हो। मांग में गत वर्ष की अपेक्षा कोई कमी न होने अथवा बढ़ि होने की अवस्था में जिलाधीश द्वारा ही मांग निर्धारण की अंतिम स्वीकृति प्रदान कर वसूली की आज्ञा प्रसारित कर दी जावेगी।

19. व्यक्तिगत मामले में मांग की कमी की स्वीकृति द्वारा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति में पूर्व में ही वित्तीय नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त जिक्रियों के आधार पर मकाम अधिकारी द्वारा मांग में कमी स्वीकृत की जा चुकी हुई होती है।

20. प्रत्येक तहसील की ग्रामवार स्थाई मांग जिलाधीश द्वारा उपरोक्तानुसार स्वीकृत करने के पश्चात् स्वीकृति के आदेश की एक प्रति रिकार्ड के लिये राजस्व मण्डल में प्रेषित करदी जावेगी जिसमें उस तहसील की गत वर्ष की तथा चालू वर्ष की मांग के अंक भी दर्ज होंगे। मांग की किस्तबन्दी की एक प्रतिलिपि जिलाधीश कार्यालय में अभिलेख के लिये रखी जावेगी तथा दूसरी प्रति आदेश के साथ संग्रह कर जिलाधीश के हस्ताक्षर सहित सम्बन्धित तहसील को वसूली हेतु भेज दी जावेगी।

21. तहसील राजस्व लेखाकार स्वीकृति प्राप्त होते ही ग्रामवार मांग का अंकन 'ग्रामवार रजिस्टर' प्रपत्र रा० ले० सं० 2 में करेगा। तहसीलदार मांग के अंकन की पविष्ठियों की 25 प्रतिशत जांच कर हस्ताक्षर करेंगे। पटवारी रखी फसल की वसूली के लिये प्रस्थान करने से पूर्व विगत वर्षों की बकाया तथा चालू वर्ष की स्थाई मांग तथा अन्य मांगों के निर्धारण का मिलान तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख से करेगा एवं ढाँडवांछ पर मिलान करने सुन्दर उसके (रा० रा० ले०) हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। इसी प्रकार पटवारी भी अपने हस्ताक्षर 'ग्रामवार रजिस्टर' प्रपत्र रा० ले० सं० 3 में वारेगा।

अस्थाई भू-राजस्व मांग निर्धारण एवं उसकी स्वीकृति:

22. परिवर्तनशील कर निर्धारण के लिये हर फसल की गिरदावरी के साथ पटवारी द्वारा खसरा (फार्म पी 13) तैयार किये जाने के साथ खसरा परिवर्तनशील (फार्म पी 14) भी तैयार किया जावेगा जैसा कि भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अनुच्छेद 41 में अंकित किया गया है। इस खसरे में गैरमुस्तकिन काश्त यानि अस्थाई खेती तथा अस्थाई कर (लगान) की पूर्विष्ठियों की जाती है। पटवारी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत परिवर्तनशील कर निर्धारण के लिये प्रपत्र पी 25 पर जमाबन्दी परिवर्तनशील भी तैयार की जायेगी। यह जमाबन्दी प्रत्येक फसल की गिरदावरी होने के पश्चात् तैयार की जाती है। भू-राजस्व (भू-अभिलेख नियम, 1957 के नियम 58) के अनुसार गिरदावरी नियमित मामले में मामले की जाती है:—

| नाम फसल | तारीख शुरूआत | तारीख समाप्ति |
|---------------------|--------------|---------------|
| खरीफ (सियाल) | 1 अक्टूबर | 31 अक्टूबर |
| रखी (उन्हाल) | 16 फरवरी | 15 मार्च |
| जायद (विशेष उन्हाल) | 16 अप्रैल | 15 मई |

23. जिला गंगानगर में जहां कि जायद खरीफ फसल अधिक बोई जाती है, खरीफ और रखी की गिरदावरी के अलावा एक और गिरदावरी 1 जनवरी से प्रारम्भ की जाकर 15 जनवरी को समाप्त की जाती है। विशेष परिस्थितियों में जिलाधीश गिरदावरी कार्य को 15 दिन पूर्व प्रारम्भ करने की तथा 15 दिन स्थगित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं।

24. पटवारी द्वारा जमाबंदी परिवर्तनशील तैयार करने के बाद उसकी जांच नियमानुसार भू-अभिलेख निरीक्षक तथा सर्किन आफिसर द्वारा की जावेगी। भू-राजस्व (भू-प्रभिलेख) नियम, 1957 के नियम 226 के अन्तर्गत विला कबज्जा सिवाय ज्ञान भूमि का प्रबन्ध प्रचलित नियमों के अन्तर्गत उसको स्थाई या प्रस्थाई रूप से लगान पर उठा कर ग्रामवार उसकी कुदरती पैदावार को नी गां करने किया जाता है व जिसका अभिलेख आफिस कानूनगो रजिस्टर ओ 14 पर ग्रामवार रखता है। आफिस कानूनगो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने पर ग्रामवार स्थाई व अस्थाई कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि का विवरण-पत्र भय नाम आसामी, रकबा तथा लगान, कीमत वृक्ष, निर्माण मनद शुल्क इत्यादि की विवरण सहित तहसील राजस्व लेखाकार को देगा जिसके आधार पर वह भूमूर्ण ग्राम के अस्थाई कर निर्धारण व अन्य मांगों की कायमी राजस्व लेखा में करेगा। भूमि आवंटन व दखल देने के तुरन्त बाद ही उक्त सूचना आफिस कानूनगो द्वारा तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को दी जावेगी।

25. आफिस कानूनगो से उक्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात् किस्तबन्दी राजस्व लेखाकार प्रपत्र शले सं० ३ में अस्थाई भू-राजस्व कर निर्धारण की ग्रामवार किस्तबन्दी १५ मई तक तैयार करेगा तथा उसमें गत तीन वर्षों की ग्रामवार मांग के अंक भी दर्ज करेगा। यह इसनिये आवश्यक है कि यह जाता जा सके कि वर्तमान वर्ष में गत तीन वर्षों की औसत की तुलना में मांग के अंकों में क्या कमी बेशी है। तहसीलदार द्वारा प्रत्येक कमी बेशी के लिये आवश्यक स्वीकृतण दर्ज किया जावेगा तथा इसके पश्चात् किस्तबन्दी स्वीकृति के लिये जिलाधीश को प्रेषित की जायेगी। जिला राजस्व लेखाकार द्वारा आवश्यक जांच के पश्चात् जिलाधीश की स्वीकृति के साथ इसे वापिस तहसीलदार को वसूली के लिये भेज दिया जावेगा। अस्थाई भू-राजस्व की वसूली के लिये जिलाधीश द्वारा आज्ञा प्रसारित की जायेगी यदि मांग की गणि में गत तीन वर्षों की औसत मांग के मुकाबले कोई कमी नहीं हुई है। यदि गत तीन वर्षों की औसत मांग की तुलना में वर्तमान वर्ष की मांग के अंकों में २५% तक की कमी हुई है तो उसकी वसूली की आज्ञा भी जिलाधीश द्वारा प्रसारित की जावेगी। जहाँ मांग की गणि में ऐसी औसत मांग की तुलना से २५% से अधिक कमी हुई है तो उसकी वसूली की स्वीकृति राजस्व मण्डल द्वारा प्रसारित की जावेगी। इस अनुच्छेद के प्रावधान राजस्थान भू-राजस्व (तालाब, नदी, पेटा भूमि के काष्ठ देतु आवंटन) नियम, 1961 परिगण्ड सं० १ के अन्तर्गत आवंटित भूमि के निर्धारण के सम्बन्ध में ही प्रभावी होंगे।

25-क. जहाँ खातेदारी भूमि जलमग्न है और उसका एक चौथाई लगान खातेदारी अधिकार गंरक्षण हेतु स्थाई तौर पर लिया जाता है तथा ऐसी भूमि के किसी भाग के काष्ठ हेतु डूब से बाहर होने पर तीन चौथाई लगान और देय होता है तो ऐसे तीन चौथाई लगान का निर्धारण अस्थाई मांग में लिया जावेगा। इस प्रकार के तीन चौथाई अस्थाई लगान की मांग के निर्धारण के सम्बन्ध में भी उपरोक्त अनुच्छेद 25 के प्रावधान ही लागू होंगे। खातेदारी गंरक्षण हेतु लगान का एक चौथाई भाग भू-राजस्व की स्थाई मांग में ही सम्मिलित होगा।

26. तहसीलदार द्वारा उपरोक्त अस्थाई मांग की किस्तबन्दी दुप्रहता में १५ मई तक हर हाजत में जिलाधीश को प्रेषित की जावेगी। तहसीलदार ऐसी किस्तबन्दी समय पर प्रेषित करने के लिये व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी होंगे। जिला राजस्व लेखाकार यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले के प्रत्येक तहसीलदार से किस्तबन्दी समय पर प्राप्त हो रही है तथा आवश्यक जांच के उपरान्त १५ दिन में जिलाधीश की आज्ञा प्राप्त कर स्वीकृति तहसीलदार को भेजेंगे ताकि तहसीलदार स्वीकृत मांग की वसूली समय पर प्रारम्भ कर सकें। यदि ऐसी मांग की अंतिम स्वीकृति राजस्व मण्डल/राज्य भरकार द्वारा होने योग्य है तो किस्तबन्दी मानवित राजस्व मण्डल में प्रेषित कर दिये जावेंगे तथा प्रांतरिम स्वीकृति जिलाधीश २५ मई तक प्रसारित कर देंगे।

27. स्वीकृति प्राप्त होते ही तहसीलदार मांग के अंक ग्रामवार खतीनी रजिस्टर में दर्ज करायेंगे तथा लगभग २५ प्रतिशत इन्ड्राज पर अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि मांग खतीनी में सही सही सम्मिलित करली गई है। उनका यह भी कर्तव्य होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस मांग की समय में वसूली हो रही है। तहसील राजस्व लेखाकार माहवारी डी० सी० बी० मानवित बनाते समय उसमें ऐसी मांग के अंक भी उसी माह में सम्मिलित करेगा जिसमें मांग की स्वीकृति प्राप्त हो गई हो।

28. राजस्थान भू-राजस्व (शुष्णि प्रयोजनार्थ भूमि आवन्टन) नियम, 1957 वा प्रतिस्थापित नियम, 1970 व अन्य नियमों के अन्तर्गत आवंटित भूमि के कर निर्धारण के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों की औसत मांग से तुलना की आवश्यकता नहीं है। इसका निर्धारण अनुच्छेद 24 में अंकित भूमि के अनुसार ही तहसील लेखा में किया जावेगा। इसकी पृथक से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है तथापि ग्रामवार एक भूमि जिले की मांग में सम्मिलित करने हेतु जिलाधीश को सम्बन्धित मास के डी.भी.बी. मानचिन्न के साथ प्रेषित की जावेगी।

29. सरफेस रेन्ट:— दिनांक 2-12-58 से लगान के बगावर और यदि लगान निर्धारित नहीं है तो समीपवर्ती भूमि पर निर्धारित लगान के बगावर खनिज पट्टों पर दिये गये भू-खण्डों का सरफेस रेन्ट वधुल किया जाता है। खनिज पट्टों की सूचना संचालक, खनिज एवं भू-गर्भ विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जिलाधीश/तहसीलदार को भेजी जाती है। तहसील में भू-अभिलेख आखा में इस प्रकार प्राप्त सूचना को पत्रावली में पंजीबद्ध किया जाकर उनकी सूचना संबंधित पटवारी को दी जायेगी। पटवारी वास्तविक खनिज कार्य के प्रयोग में आई हुई स्वीकृत खनिज पट्टों की भूमि, जिस पर सरफेस रेन्ट निर्धारण होता है, का खसरा परिवर्तनशील फार्म पी 14 व जमावन्दी परिवर्तनशील फार्म पी 25 तितम्बा शजरा तथा फीलड बूक जैसा कि अस्थाई काश्त की भू-राजस्व कायमी के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अनुच्छेद संख्या 61, 62, 89, व 103 में बताया गया है, तैयार करेगा। भू-प्रभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच करने के पश्चात् तहसीलदार द्वारा उक्त जमाकायमी का अनुमोदन किया जायेगा। तहसील आधिकारी कानूनगो द्वारा ग्रामवार आसामीवार सूचना अनुच्छेद 24 में वर्णित निर्देशनुसार पृथक से दिखाई जाकर तहसील राजस्व लेखाकार को अनुच्छेद संख्या 28 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु दी जायेगी।

30. विविध प्रकार की गांगों के निर्धारण की स्वीकृति:— विविध प्रकार की गांगों की इकजाई स्वीकृति पूर्व में प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मामलों विशेष में मक्षम अधिकारी द्वारा वसूली की स्वीकृति वित्तीय शक्तियों के आधार पर प्रदान कर दी जाती है। भू-राजस्व से सम्बन्धित विविध प्रकार की गांगों का निर्धारण एवं उनकी स्वीकृति तत्सम्बन्धी विभिन्न नियमों के अनुसार होती है। राजस्व लेखा में मांग निर्धारण के लिये आगे अनुच्छेदों में वर्णित प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

31. प्राकृतिक उपज से आय:— (1) जैसा कि पूर्व अनुच्छेद 13 व 24 में वर्णन किया गया है, राजकीय (सिवाय-चक) भूमि बिला कब्जा पर प्राकृतिक उपज के प्रबंध करने के लिये आफिस का नूनगो द्वारा प्रत्येक फसल के प्रारम्भ में प्रतिवर्ष ग्रामवार पत्रावलियां खोली जायेगी तथा शीघ्रतः तहसीलदार द्वारा उन पर नीलामी की कार्यवाही की जावेगी। आफिस कानूनगो ऐसी पत्रावलियां तैयार करने के लिये प्रत्येक पटवारी से गिरदावरों के माध्यम से रामुचित समय पर प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। अनधिवासित भूमि की इस प्राकृतिक उपज में घाग, फूस, लकड़ी, ईंधन, फल, लाख, गोंद, लूंग, पाला, पानी तथा सदृश्य कोई अन्य वस्तु सम्मिलित है।

(2) प्राकृतिक उपज की नीलामी निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा उनके समक्ष अंकित सीमा तक स्वीकृत की जायेगी:—

1. राजस्व विभाग

1. एक लाख रुपये तक (उन मामलों में जहाँ ठेका देने के नियम हैं) ।

2. अन्य मामलों में रुपये 25,000 तक

3. ठेके की राशि गत तीन वर्षों की औसत से कम होने की दशा में वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगी।

2. विभागाध्यक्ष प्रथम श्रेणी

रुपये 10,000 तक प्रतिवर्ष प्रत्येक मामले में

3. विभागाध्यक्ष प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त रुपये 5,000 तक प्रतिवर्ष प्रत्येक मामले में

4. कार्यालय अध्यक्ष रुपये 2,000 तक प्रतिवर्ष प्रत्येक मामले में

(3) अन्तिम बोली के तत्काल पश्चात् बोली की चौथाई राशि आपिम भीके पर ही बोली दहन्दा से वसूल की जावेगी जो रेवेन्यू डिपोजिट में जमा होगी। शेष तीन चौथाई राशि स्वीकृत निधि से 1 माह के भीतर अथवा उपज का कछा सौपने से पूर्व जो भी पहिले हो, वसूल की जावेगी। नीलामी स्वीकृत न होने की दशा में चौथाई वसूल की गई राशि वापिस करदी जावेगी और बोली दुबारा बुलवाई जावेगी। अवशेष राशि निर्धारित अवधि में जमा न करने की दशा में आपिम चौथाई राशि जब्त की जाकर उपज को पुनः नीलाम किया जायेगा तथा बोली में पूर्वपेक्षा कमी होने पर अन्तर की राशि पूर्व बोलीदार से भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल की जायेगी।

(4) विवादप्रस्त भामलों में राजस्व भण्डन का निर्णय अंतिम रूप से गात्य होगा।

(5) ठेकेदार की केवल बोली से सम्बन्धित प्राकृतिक उपज ही निर्धारित अवधि में उठाने का अधिकार होगा। भूमि पर काश्त करने अथवा अन्य प्रकार से उपभोग करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(6) प्रत्येक नीलामी विज्ञप्ति में उक्त प्रावधानों का साप्त उल्लेख दिया जायेगा।

(7) नीलामी स्वीकृत हो जाने के पश्चात् मूल पत्रादि आपिम कानूनभो जात्या में त० रा० ले० को मांग अभिलिखित करने के लिये हस्तांतरित किये जायेंगे। पत्रादि प्राप्त होने पर त० रा० ले० मांग का अंकन रजिस्टर प्रपत्र रा० ले० संख्या 4 में करेगा तथा उसके पश्चात् मूल पत्रावली पर पृष्ठांकन करेगा कि इससे सम्बन्धित मांग की राशि ———रुपये रजिस्टर—के पृष्ठ संख्या——इन्द्राज संख्या——पर दिनांक—को दर्ज कर दी गई है। उसके उपरान्त सम्बन्धित पत्रादि वापिस आपिम कानूनगो आखा में लौटा दिये जायेंगे।

(8) प्रत्येक माह के अंत पर तहसील के डी० सी० बी० मानचित्र के साथ एक भूकी निम्न पेशानी में जिलाधीश को प्रेषित की जायेगी। जिलाधीश कार्यालय में जिला राजस्व लेखाकार इन सूचियों को तहसीलदार पत्रावली में रखेगा और वह सुनिश्चित करेगा कि मांग की कुल राशि भूकी में अंकित विवरण के अनुसार ही डी० सी० बी० मानचित्र में सम्मिलित कर दी गई है।

विविध प्रकार की मांग भूकी माह वर्ष तहसील जिला

| क्र० सं० | नाम ग्राम | पत्रावली संख्या एवं आज्ञा की तिथि | मांग की प्रकार | वर्ष | राशि | तहसील रजिस्टर वा पृष्ठ जिसमें मांग दर्ज की गई है |
|----------|-----------|-----------------------------------|----------------|------|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

उपरोक्त भूकी के स्तम्भ संख्या 1 में पूरे वर्ष के लिये (1 अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक) का संदर्भ एक ही में घलती रहेगी अर्थात् कम संख्या माहवारी नहीं होगी।

32. प्रीमियम व शास्ति:-भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत राजकीय भूमि के अतिक्रमण होने पर तहसील द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर अतिक्रमणकारी पर शास्ति आरोपित की जाती है। सम्बन्धित पत्रावली तहसील में राजस्व लिपिक या नायब-तहसीलदार के पास रहती है। राजस्व अधिकारी द्वारा निर्णय होने पर तथा किसी प्रकार की शास्ति आरोपित होने पर उसकी मांग विद्युत मांग

निर्धारित की जाती है और मुख्य शीर्षक 9 भू-राजस्व में जगा की जाती है। जैसे ही राजस्व अधिकारी द्वारा निर्णय किया जावे उसके तत्काल बाद ही पत्रावली मांग अभिनिवित करने के लिये सम्बन्धित लिपिक द्वारा त० रा० ले० को हस्तान्तरित करदी जायेगी और उपरोक्तानुसार उप-अनुच्छेद 31(7) व (8) में वर्णित प्रक्रिया अपनाई जायेगी। पत्रावली बाद में सम्बन्धित लिपिक को आवश्यक कार्यवाही हेतु वापिस करदी जायेगी। इसी प्रकार प्रीमियम की राशि, यदि कोई हो, तो उसकी मांग का अभिलेख भी उक्त प्रक्रिया के अनुसार ही किया जायेगा।

33. सनद शुल्क—राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भू-आवंटन नियम, 1957 व प्रतिस्थापित नियम, 1970 के (परिशिष्ट सं० 3) अन्तर्गत आवन्टी को एक आवंटन आदेश जो आवंटन की सनद होती है, वितरण की जाती है, जिसका शुल्क 5 रुपये है। जैसे ही तहसील में आवंटन के आदेश प्राप्त हों, आफिस कानूनगों अनुच्छेद संख्या 24 में निर्धारित ग्रामवार तालिका तैयार करेगा जिसकी प्रति पटवारी तथा दूसरी प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को दी जायेगी। तहसील राजस्व लेखाकार इस तालिका के अनुसार लगान की मांग अस्थाई भू-राजस्व की ग्रामवार पंजिका (रजिस्टर रा० ले० संख्या 2) दर्ज करेगा तथा 5 सनद रुपये शुल्क व मुआवजा वृक्ष, निर्माण आदि की मांग विविध मांग के रजिस्टर प्राप्त रा० ले० सं० 4 में दर्ज करेगा।

34. नामान्तरकरण शुल्क—(1) भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अनुच्छेद 245 के प्रावधानों के अनुसार तहसील आफिस कानूनगों एक विवरण निम्नलिखित फार्म में दो पड़तों में तैयार करेगा और पूर्विष्ठों की जांच मूल नामान्तरकरण-पत्र (स्वीकृत या अस्वीकृत) से करेगा तथा प्रमाणित करेगा कि वे सही हैं:—

नामान्तरकरण शुल्क की मांगों का विवरण-पत्र वर्ष तहसील

| नाम ग्राम तथा संख्या | भू-सम्पत्तिधारी या काश्तकार का नाम तथा याता नम्बर जिससे शुल्क बाकी है | नामान्तरकरण काश्तकार की राशि जो जानी जानी जानी है | शुल्क की राशि जो जानी जानी है | विवरण चालान नं० तारीख जिससे राशि बैंक/राज्य कोष में जमा की गई |
|----------------------|---|---|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

(2) तहसीलदार द्वारा विवरण-पत्र की एक प्रतिलिपि माह सितम्बर के अंत तक जिनाधीश भार्यालय के मांग रजिस्टर में समिलित किये जाने हेतु भेजी जायेगी तथा दूसरी प्रतिलिपि तहसील राजस्व लेखाकार को दी जायेगी। तहसील राजस्व लेखाकार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात को देखे कि शुल्क वसूल किया जा रहा है और उपरोक्त निर्देशानुसार सम्बन्धित हिसाब में जगा कराया जा रहा है।

(3) नामान्तरकरण शुल्क की राशि की वसूली भू-राजस्व (अभिलेख) नियम, 1957 के प्रथम भाग के परिशिष्ट 2 जो राजस्व (ख) विभाग की विज्ञप्ति सं० प० 3(187) राजाखानुप-2, दिनांक 2-12-63 द्वारा संशोधित की गई है में उल्लेखित दरों से वसूल की जाती है (देखिये परिशिष्ट संख्या 3)।

(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 133 के अन्तर्गत प्रत्येक आमासी जो विरासतन हस्तान्तरण अथवा अन्य किसी प्रकार से भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त करता है जिससे पूर्विष्ठ भू-अभिलेख में होना आवश्यक है, भूमि पर वास्तविक अधिगत्य प्राप्त करने की तारीख में तीन मास की अवधि में ग्राम पटवारी को सूचित करेगा तथा तहसीलदार को पटवारी अथवा गिरदावर की मार्फत रिपोर्ट करेगा। निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दी गई सूचना पर नामान्तरकरण शुल्क के अलावा तहसीलदार दस रुपया तक जुरमाना (अर्थ दण्ड) उक्त दावी आमासी पर आरोपित करेगा। ऐसी अर्थ दण्ड आरोपण करने की शक्ति तहसीलदार को ही, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 134 के अन्तर्गत प्रदान की गई है। अर्थ दण्ड की मांग नामान्तरकरण शुल्क के साथ ही उक्त तालिका में दर्ज की जायेगी।

35. चूने के भट्टों के लिये आवंटित भूमि का किराया:- (1) राजस्थान भू-राजस्व (ग्राजकीय अनधिकारित भूमि का चूने के भट्टों के प्रयोजन हेतु आवंटन) नियम, 1965 (परिशिष्ट संख्या 4) के प्रावधानों के अन्तर्गत जिलाधीश द्वारा 5 वर्ष तक की अवधि के लिये भूमि आवंटन किया जाता है आवंटी चाहे तो आवंटन का अगले 5 वर्ष के लिये और नवीनीकरण किया जा सकता है हेतु एक बीघा तक भूमि का आवंटन किया जा सकता है। अभिव्यक्ति एक बीघा से तात्पर्य एक एकड़ का 5।8 वां भाग अथवा 3,025 वर्गफुट है।

(2) उक्त नियमों के अन्तर्गत आवंटित भूमि का लगान प्रति बीघा या बीघा के किसी भाग पर 40 रुपये वार्षिक अयवा जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हो, की दर से प्रार्थनान्तर के स्वीकृत होने पर या लीज की समाप्ति के प्रत्येक वर्ष पर अग्रिम वसूल किया जायेगा। इग उद्देश्य हेतु आवंटित भूमि पर कोई प्रीमियम या रोयल्टी या जलकर वसूल नहीं किया जा सकता।

(3) यह धनराशि वार्षिक कर आय शीर्षक 9 भू-राजस्व (जे) विविध (7) विविध शीर्षकाधीन राज्य कोष में जमा होगी। जैसे ही जिलाधीश से आवंटन की स्वीकृति प्राप्त हो, तहसीलदार सम्बन्धित पत्रादि को तहसील राजस्व लेखा शाखा में मांग निर्धारण हेतु भेजेंगे। तहसील राजस्व लेखाकार पत्रावली प्राप्त होते ही तत्सम्बन्धी इन्द्राज रजिस्टर रा० ले० संख्या 5 में दर्ज करेगा और इगना नोट पत्रावली में निम्न प्रकार पृष्ठांकित कर पत्रावली वापिस सम्बन्धित शाखा को कर देगा।

“सम्बन्धित पूर्विष्ठां रजिस्टर रा० ले० संख्या 5 के पृष्ठ सं० , पर दिनांक को अंकित की गई।”

हस्ताक्षर
त० रा० ले०
दिनांक

सुविधा हेतु पृष्ठांकन करने के लिये रबर मोहर का प्रयोग किया जा सकता है।

(4) लीज के नवीनीकरण होने की स्थिति में भी पुनः यही प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

36. (1) राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 (परिशिष्ट सं० 5) के अन्तर्गत आवंटित भूमि का वार्षिक लगान आदि निर्धारण एवं वसूली हेतु तहसील व जिला कार्यालय में पंजिका प्रत्यक्ष रा० ले० सं० 5 पर रखी जायेगी।

(2) नियम 10 के अन्तर्गत उद्योग विभाग राजस्व विभाग को तथा राजस्व विभाग सम्बन्धित जिलाधीश को इन नियमों के अन्तर्गत किये गये आवंटन की सूचना तथा विकास-व्यय और वार्षिक कर की वसूली के आदेश भेजेंगे। ऐसे आदेश प्राप्त होने पर जिलाधीश द्वारा उसकी प्रतिलिपि जिला राजस्व लेखाकार एवं सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जायेगी। जिला राजस्व लेखाकार इसकी वार्षिक पत्रावली रखेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि मांग का सही निर्धारण होकर तहसील द्वारा उसकी समय पर वसूली की जा रही है। ज्यों ही कोई स्वीकृति तहसील में प्राप्त हो उसका इन्द्राज रजिस्टर रा० ले० सं० 5 में किया जावेगा तथा तहसीलदार द्वारा इसकी पूर्विष्ठां सत्यापित की जावेगी। आवंटनी द्वारा डबल पेमेन्ट चार्ज (प्रीमियम) जमा करते ही कागजात पटवार में भूमि के वर्ग परिवर्तन की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी और यदि लगान निर्धारित है, तो उसे कम किये जाने की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जावेगी।

(3) तहसील राजस्व लेखाकार प्रत्येक स्वीकृति का इन्द्राज इस रजिस्टर में करेंगे तथा वसूली की पूर्विष्ठां भी यथा समय पूर्ण की जावेगी। इस रजिस्टर के आधार पर हर वर्ष मांग का लेखा तैयार कर तहसील राजस्व लेखों में सम्मिलित किया जायेगा।

37. प्रतिलिपि शुल्कः—(1) भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अनुच्छेद 28 के अन्तर्गत बंदोबस्त के रेकार्ड के अलावा अपने रेकार्ड में से किसी भी प्रार्थी को पटवारी प्रमाणित अवतरण दे सकता है। ये प्रमाणित अवतरण प्रत्येक प्रकार के रेकार्ड के लिये निर्धारित छपे हुये फार्म पर दिये जाते हैं। प्रमाणित अवतरण की शुल्क उक्त नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित दर से वसूल की जाती है:—

| रेकार्ड का नाम | शुल्क |
|----------------------|---|
| 1. जमावन्दी | प्रत्येक 50 खसरा नम्बरों या कम के लिये 52 पैसे। |
| 2. खरारा एवं सियाहा | प्रत्येक इन्द्राज के लिये 8 पैसे किन्तु न्यूनतम 24 पैसे। |
| 3. डायरी | किसी एक तारीख पर किसी एक विषय के बारे में किये गये एक इन्द्राज के लिये 24 पैसे। |
| 4. जमरा नम्बर | प्रत्येक 25 या उसके अब्दों के लिये 24 पैसे। |
| 5. अनुमार्गण (द्रेस) | प्रत्येक खेत के लिये 100 नम्बर तक 8 पैसे तथा 100 से ऊपर प्रत्येक नम्बर पर 2 पैसे न्यूनतम 24 पैसे (द्रेसिंग) तगड़े की कीमत इस फीस के अलावा वसूल की जायेगी। |

(2) ऐसे अभिलेखों की प्रतिलिपि फीस जिनका विवरण ऊपर नहीं दिया गया है, वही होगी जो कि खरारा की है। वसूलशुदा शुल्क में से पटवारी उसका एक चौथाई भाग फार्म की कीमत के बतौर राज्य कोष में जमा करेगा तथा शेष $\frac{3}{4}$ भाग पटवारी का भाग होगा। जिसकी प्राप्ति की रसीद उराके द्वारा रजिस्टर पी 35 में की जायेगी। प्रतिलिपि प्रदान करने के विशेष प्रावधान उपरोक्त नियमों में दिये गये हैं।

(3) जहाँ तक राजस्व लेखों में प्रतिलिपि शुल्क की समिक्षित करने का प्रश्न है कुल वसूल-शुदा धनराजि में से $\frac{1}{4}$ भाग राजकीय भाग पटवारी की जमा कराना पड़ता है। पटवारी द्वारा वसूल-शुदा राजकीय भाग अन्य राजियों की भाँति ही निर्धारित अवधि में राज्य कोष में जमा करा दी जायेगी यह विविध आय है और पूर्व में निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसलिये इसकी जगा कायमी बकदर वसूली होकी पटवारी जब माहवारी वसूली का मिलान करने तहसील में आवेदन अपने गाथ रजिस्टर पी 35 भी लायेगा तहसील राजस्व लेखाकार इस पंजिका के अनुसार राजकीय भाग की राजि राज्य कोष में जमा होने का सत्यापन करेगा।

38. नमक क्षेत्र किराया:—(1) यह किराया उस क्षेत्र का होता है जो राजस्थान भू-राजस्व (नमक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1962 (परिभिष्ट 6) के नियम 5 के अन्तर्गत नमक क्षेत्र वोपित किया जाकर नमक बनाने हेतु इन नियमों के अनुसार लोज पर दिया जाता है।

(2) नमक के एलोटों के आवंटन की सूचना डाइरेक्टर, इन्डस्ट्रीज अथवा सप्लाईज, राजस्थान द्वारा जिले के क्लेक्टर की तथा क्लेक्टर द्वारा गम्बन्धित तहसीलदार को दी जायेगी जिसके आधार पर तहसील कायलिय में तहसील राजस्व लेनाकार सम्बन्धित व्यक्ति का खाता प्रपत्र रा० ले० संख्या 5 में वार्षिक किराया मांग निर्धारण एवं वसूली हेतु रखेगा और वार्षिक मांग एवं वसूलों का इन्द्राज तहसील के ग्रामवार खतोनों पंजिका प्रपत्र रा० ले० सं० 2 में किया जायेगा।

39. ग्रादेशिका शुल्कः—राजस्थान भू-राजस्व (भुगतान आंकलन, प्रत्यार्पण और वसूली) नियम 1960 (परिभिष्ट 7) के प्रावधान के अनुसार जो ग्रादेशिका शुल्क शादि की परिज्ञान दोती

उनकी मांग का पूर्व निर्धारण नहीं किया जा सकता है। उक्त नियम के अन्तर्गत पंजिका प्राप्ति रा० ले० सं० 15 में समय समय पर जो मांग दर्ज होगी वह राजस्व केसा में आपिक नमिनित की जायेगी आदेशिका शुल्क की प्राप्तियाँ 9 भू-राजस्व 'विविध' जीर्णकाढ़ीन राज्य कोप में दर्ज होगी।

40. भूमि एकीकरण शुल्कः—राजस्थान होलिडग्स (कन्सोर्टिडेजन एण्ड प्रीवेन्यूल आफ क्रेमेन्टेशन) अधिनियम, 1954 तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1955 के अनुसार जिन खेतों में जिस समय भूमि एकीकरण कार्य होता है तो भूमि एकीकरण अधिकारी द्वारा एकीकरण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् आसामीवार भूमि एकीकरण शुल्क की मांग नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर दो पड़तों में तैयार की जाकर सम्बन्धित तहसीलदार को वसूली हेतु भेजी जायेगी। तहसील वार्डिय में भूमि एकीकरण शुल्क की मांग का विवरण-पत्र प्राप्त होने पर तहसील राजस्व लेखाकार मांग का अंकन आमवार भू-राजस्व अभियाचन, संग्रहण एवं अवशेष पंजिका प्रपत्र रा० ले० संख्या 2 में करेगा तथा विवरण-पत्र की दूसरी पड़त वसूली हेतु पटवारी के पास भेजेगा। पटवारी भूमि एकीकरण शुल्क की मांग द्वालबांछ में सम्बन्धित आसामी के खातों में दर्ज कर भू-राजस्व की किश्तों की वसूली के माथ माथ वसूली करेगा। तथा वसूली के इन्द्राज द्वालबांछ व शुल्क विवरण-पत्र में विये जायेंगे। भू-अभिलेख निरीक्षक, नायब-तहसीलदार/तहसीलदार द्वालबांछ की जांच करने समय यह देखेंगे कि मांग वा आसामी-वार अंकन सम्बन्धित खातों में यही किया गया है तथा वसूली गया पर की जा रही है।

41. तहसील राजस्व लेखाकार इस शुल्क की मांग रजिस्टर (प्रपत्र रा० ले० संख्या 2) में दर्ज करने के पश्चात् अविलम्ब तहसील के डी० सी० बी० मानचिक्र में यथा स्थान मांग का अंकन करेगा तथा आमवार सूची जिला कार्यालय को भेजेगा ताकि जिला राजस्व लेखाकार इस शुल्क की मांग को जिले के इकजाई मानचिक्र में सम्मिलित कर सकें। तहसीलदार द्वारा भूमि एकीकरण शुल्क की मांग, वसूल तथा बाकी का मानचिक्र नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित भूमि एकीकरण अधिकारी को भेजा जायेगा। इस शुल्क की मांग का निर्धारण नियमों ने निर्धारित दरों से होगा (देखिये परिणिष्ठ 8)।

प्रष्टाप-3

42. भू-राजस्व पर अधिभारः—राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) अधिनियम, रा० 1960 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1960) माह अप्रैल, 1960 से प्रभावशील है (परिणिष्ठ 9) /इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिभार की दरे निर्धारित की गई है। उबल अधिनियम के अन्तर्गत अधिभार निर्धारण के हेतु नियम प्रसारित किये गये हैं।

43. राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) नियम, 1960 ने नियम 3 के प्रभुभार ज्ञानावली, अंतिम खसरा, गिरदावरी, द्वालबांछ तथा अन्य अभिलेख के आधार पर निर्धारित प्रपत्र संख्या 1 पर सरचार्ज की आसामीवार तथा आमवार खतौनी पटवारी द्वारा दो पड़तों में तैयार की जायेगी इसकी जांच नियमानुसार भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा की जाकर तहसीलदार द्वारा अधिभार निर्धारित कर अनुमोदित किया जायेगा। तहसीलदार सरचार्ज मांग की पूर्विष्ठ ग्राम की द्वालबांछ में अंकित करने और वसूली करने के लिये निर्देश प्रसारित करेंगे। सरचार्ज की वसूली भू-राजस्व की निर्धारित किश्तों के अनुपात में भू-राजस्व के साथ साथ की जायेगी। तहसीलदार द्वारा सरचार्ज खतौनी की एक पड़त स्वीकृत कर वसूली हेतु पटवारी को वापिस लौटा दी जावेगी तथा दूसरी पड़त त० रा० ले० के पार भेज दी जावेगी। तहसील राजस्व लेखाकार उसके आधार पर सम्बन्धित पंजिकाओं में आवश्यक पूर्विष्ठियाँ करेगा। मांग का कुल योग तहसील के भू-राजस्व अभियाचन संग्रह तथा अवशेष के माहवारी मानचिक्र में निर्धारित कौलम में सम्मिलित किया जायेगा। तहसीलदार सरचार्ज की खतौनी प्रतिवर्ष 15 अप्रैल से पूर्व स्वीकृत कर वसूली प्रारम्भ करने की व्यवस्था करेगा। सरचार्ज नियमों के अन्तर्गत सरचार्ज की मांग निर्धारण करने के अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है। इसलिये जिलाधीश से मांग की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक नहीं है, तथा पि सरचार्ज की मांग को जिला की मांग में रामिनित करने के लिये

एक ग्रामवार सूची तहसीलदार द्वारा प्रपत्र रा० ले० संख्या 10 पर 15 अप्रैल तक जिलाधीश कायदिय में प्रेषित की जायेगी ।

- टिप्पणी:— 1. गंगानगर जिले के गंग नहर क्षेत्र में जहाँ "होई बोई" प्रथा प्रचलित है सरचार्ज का शनिवार निर्धारण फलान खरीफ के भू-राजस्व मांग निर्धारण होने के साथ साथ किया जावेगा ।
2. अन्य क्षेत्रों में भी अस्थाई भू-राजस्व निर्धारण के फलस्वरूप यथा आवश्यक मंजूधन, गरवार्ज की मांग में स्वीकृत किया जावेगा ।

अध्याय-4

पूरक अभियाचन

44. विभिन्न राजस्व मांगों के अभियाचन एवं निर्धारण की प्रक्रिया का उल्लेख पूर्व में ही अध्याय-2 में किया जा चुका है । विभिन्न प्रकार की मांगों के पूरक अभियाचन भी उन्हीं सम्बन्धित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत होंगे जिनके अन्तर्गत मूल अभियाचन निर्धारण होते हैं । पूरक अभियाचन निर्धारण की आवश्यकता मुख्य रूप से तिम्चिकित कारणों से उत्पन्न होती है:—

(1) नियमों में किसी प्रकार की दर परिवर्तन के कारण पूरक मांग मानीत प्रभाव से तैयार करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है ।

(2) कई बार यांग निर्धारण करते समय नियमों की अज्ञानता, उपेक्षा, लापरवाही अथवा विपिकीय मूल हो जाने से मांग निर्धारण मूल अभियाचन से छूट जाता है । जब इस भूल का पता लगता है तो पूरक अभियाचन निर्धारण आवश्यक हो जाता है ।

(3) मूल अभियाचन निर्धारण होने के पश्चात् प्राप्त मात्राग्रदालन या राजकीय प्रादेशों के अन्तर्गत पूरक अभियाचन निर्धारण करता पड़ता है ।

(4) विभिन्न अधिकारियों के निरीक्षणों तथा अंकेशग प्रतिवेदनों में वर्णित ज्ञात राजस्व अनुनादियों अथवा राजस्व हानियों को पूर्ण करने के लिये या अन्य कारणों से पूरक अभियाचन का निर्धारण आवश्यक हो जाता है ।

45. विभिन्न जिलों में पूरक अभियाचन निर्धारण को तितम्बा जमा कायमी या सप्लीमेन्टरी डिमार्ड के स्थानीय नामों में पुस्तक जाता है । पूरक मांग तितम्बा (Supplementary) जमा कायमी के लिये पृथक पृथक प्रक्रिया अपनाई जाती है । कहीं कहीं इसके लिये ढाल बांछ के प्रपत्र पर ही पटवारी द्वारा पूरक मांग की पृथक ढाल बांछ तैयार की जाती है तथा सक्षम अधिकारी के आदेश प्राप्त होने पर उसे मूल ढाल बांछ के साथ जट्ठी कर दिया है । यह प्रथा भूतपूर्व जोधपुर डिवीजन के जिलों में प्रचलित है । अन्य कई जिलों में एक गानविल उपि वर्ष के अंतिम डी० सी० बी० मानविल माह सितम्बर के साथ संलग्न कर दिया जाता है और उसे पूरक मांग निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण होना मान लिया जाता है । पूरक मांग का निर्धारण मूल मांग निर्धारण से कम महत्व का नहीं है । विभिन्न प्रकार की राजस्व की पूरक मांगों के निर्धारण के लिये आवश्यक सूचना उसी प्रपत्र पर तैयार की जावेगी जिस पर कि मूल अभियाचन तैयार किया जाता है । भू-अभिलेख निरीक्षक, नायब-तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा पूरक मांग की जांच संकलन, एवं अनुमोदन के लिये वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो अध्याय 2 व 3 में निर्दिष्ट की गई है । पूर्व वर्षों की पूरक मांग उसी वर्ष की चाल मांग में ही वर्गीकृत की जावेगी परन्तु ऐसी मांग चाल वर्ष के लेखा एवं गानविल में पृथक से दिखाई जावेगी ।

46. पूरक मांग स्वीकृत करने से पूर्व सक्षम अधिकारी का यह भी कर्तव्य होगा कि वे देखें कि पूरक मांग के निर्धारण सम्बन्धी कारणों की विस्तृत जांच कर ली गई है तथा इसमें यदि किसी कर्मचारी

अधिकारी की लापरखाही, कर्तव्यों की अवहेलना एवं नियमों का उल्लंघन करना पाया जावे तो ऐसे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक व्यवस्थाही पृथक से की जावेगी।

अध्याय-5

अन्य अभियाचन

47. भू-राजस्व के अतिरिक्त अन्य मदों की वसूली का भार भी राजस्व अधिकारियों पर है। ऐसी अन्य मदों की वाषिक मांग का तिथिक समय पर निर्धारण होतेर राजस्व अधिकारियों के प्राप्त होना अतिरिक्तशक्ति है, ताकि उनकी वसूली भू-राजस्व की वसूली के साथ साथ की जा सके। सम्बन्धित विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वसूली के लिए निर्धारित गांग से पूर्वे उनके विभागों से सम्बन्धित गांग का विवरण-पत्र राजस्व अधिकारियों के पास उपलब्ध करावे। विवरण में प्राप्त मांग विवरण-पत्रों की शुल्क तहसीलदार द्वारा जिलाधीश को प्रेषित की जावेगी।

48. जो बांध व तालाब राजस्व विभाग के नियंत्रण में हैं उनमें सम्बन्धित सिचाई कर की मांग का निर्धारण राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। तथा जो बांध व योजनायें इत्यादि सिचाई विभाग के नियंत्रण में हैं उनसे संबंधित सिचाई कर की मांग का निर्धारण भिन्नाई विभाग द्वारा किया जाता है।

49. राजस्थान इरिंगेन एण्ड ड्रेनेज रूल्स, 1955 के नियम 60 के अन्तर्गत डिविजनल खरीफ की 15 अक्टूबर तक सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावेगी। जिसकी शुल्क पूर्ण विवरण एण्ड ड्रेनेज एक्ट, 1954 की धारा 40 में निर्धारित प्रभाण-पत्र दो पट्टों से सिचाई अधिकारी द्वारा मांग दर्ज कर मांग-पत्र सम्बन्धित पटवारी को वसूली करने हेतु वितरण करेगा और प्रभाण-पत्र पर प्रति तहसील में रखली जावेगी। यह कार्य तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा 30 अप्रैल तथा 31 अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जायेगा। दोनों फसलों की मांग प्रभाण पटवारी के पास वसूली करने के लिये 31 मार्च योग लगाकर पटवारी उन्हें तहसील में राजस्व लेखाकार के पास जमा करा देगा, जो समस्त मांग-प्रभाणों इन मांग-पत्रों में दिखाई गयी बकाया को आसामीवार बकाया निकाली जाकर कुल ग्राम/चक की बकाया का को सम्बन्धित सिचाई अधिकारी के पास 5 अप्रैल तक हर हालत में भिजवा देगा। सिचाई अधिकारी की व्यवस्था करेगा। गतवर्ष की बकाया को चालू वर्ष की मांग-प्रभाणों में दर्ज करने के लिये सिचाई विभाग के कर्मचारी उत्तरदायी होंगे। गतवर्ष की ढालवांछ (मांग-प्रभाण) चालू वर्ष की ढालवांछ के साथ वापस तहसीलदार को नहीं भेजी जावेगी बल्कि सिचाई विभाग में ही रखली जावेगी।

50. राजस्व विभाग के अधीन तालाबों व बांधों की सिचाई कर की मांग सिचाई नियमों के अनुसार राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा तैयार की जावेगी। सिचाई कर की दर तथा मांग निर्धारण करने की तिथि व समय वही होंगे जो सिचाई नियमों में वर्णित है। आफिय कानूनगों समस्त पटवारियों से सिचाई कर के मांग-विवरण पत्र-प्राप्त कर तहसील की गांग का ग्रामवार विवरण-पत्र-प्रत्येक सिचाई शीर्षक का तीन प्रतियों में तैयार करेगा। एक प्रति जिलाधीश की मांग के अनुमोदन हेतु प्रेषित की जावेगी। दूसरी प्रति सम्बन्धित सिचाई विभाग के अधिकारी को शुल्कार्थी राजस्व लेखाकार को दी जायेगी। तहसील राजस्व लेखाकार स्वीकृति की शुल्क शुल्क प्राप्त होने पर ग्रामवार मांग सम्बन्धित रजिस्टर प्रभाण रा० ले० रु० रु० ६ में दर्ज करेगा तथा उसकी वसूली व शब्दोंप का लेखा।

51. सुधार कर:—किसी सिचाई योजना के अन्तर्गत स्थित तथा उसके अन्तर्गत आने वाली भूमि पर राजस्थान लैण्ड्स स्पेशल इरिंगेन नामेंज एक्ट, 1953 की धारा 5 के अन्तर्गत सुधार कर

लगाया जाता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 7 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के नियम 5 से 10 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सुधार कर की मांग का निर्धारण करने के उपरान्त ग्रामवार/चकवार तथा आसामीवार वार्षिक मांग विवरण-पत्र सिचाई विभाग द्वारा तहसीलदारों को वसूली हेतु भेजी जावेगी जो सिचाई कर की मांग के साथ साथ तहसीलदारों के पास पहुंच जाने चाहिए। ग्रामवार/चकवार तथा आसामीवार वार्षिक मांग-पत्र तहसील में प्राप्त होने पर उसी प्रक्रिया से कार्यवाही की जावेगी जो सिचाई कर की मांग के लिये परिच्छेद संख्या 49 में बताई गई है। आसामीवार मांग, वसूली का लेखा सिचाई विभाग अथवा सुधार कर अधिकारी, यदि कोई पृथक से नियकत हों द्वारा निर्धारित पंजिकाओं में रखा जावेगा। सुधार कर का भुगतान एक साथ अथवा वार्षिक किश्तों में भी किया जा सकता है।

52. राजकीय भूमि स्थाई आवंटन एवं विक्रय मूल्य की मांगः—भिन्न भिन्न नहरी प्रयोजनाओं जहाँ राजकीय भूमि का विक्रय/स्थाई आवंटन किया गया है तथा किया जाता है उसके मूल्य की वार्षिक किश्तों का मांग निर्धारण के सम्बन्ध में अध्याय-11 के परिच्छेद संख्या 122 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

53. अन्य विभागों से सम्बन्धित वसूली जैसे निष्कान्त कृष्य भूमि विक्रय मूल्य आदि की वसूली का भार राजस्व विभाग को सौपा जाने पर तत्सम्बन्धी मांग वा निर्धारण एवं वसूली संबंधित विभागीय नियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार होगी।

अध्याय—6

राजस्व लेखा पंजिकायें तहसील कार्यालय

54. राजस्व लेखाकार द्वारा तहसील में राजस्व लेखा सम्बन्धी निम्नलिखित पंजिकायें रखी जायेगी:—

1. चालान रजिस्टर (प्रपत्र जी० ए० 58)
2. दैनिक भू-राजस्व प्राप्तियों की चालानवार (अर्ज इरसालवार) पंजिका प्रपत्र रा० ले० संख्या 7।
3. दैनिक विविध श्राय (भू-राजस्व के अतिरिक्त अन्य मद) की चालानवार पंजिका प्रपत्र रा० ले० संख्या 8।
4. ग्रामवार भू-राजस्व अभियाचन संग्रह अवशेष पंजिका प्रपत्र रा० ले० संख्या 2
5. ग्रामवार भू-राजस्व की विविध अभियाचन पंजिका प्रपत्र रा० ले० संख्या 4
6. सिचाई एवं अन्य शीर्षकों की ग्रामवार अभियाचन संग्रह पंजिका प्रपत्र रा० ले० संख्या 6।
7. राजकीय धनराशि संग्रहण सम्बन्धी पटवारियों को जारी की गई रसीद पुस्तक पी 33 की नियन्त्रण पंजिका प्रपत्र रा० ले० संख्या 9।
8. छोटी रकमों को तहसील खजांची के पास जमा करवाने की पंजिका प्रपत्र रा० ले० संख्या 7 व 8।
9. राजस्थान भू-राजस्व नियमों के अन्तर्गत अकृपि प्रयोजनार्थ भूमि लगान पंजिका प्रपत्र रा० ले० संख्या 5।

55. तहसील में भेजी जाने वाली प्रत्येक रकम के किये पटवारी प्रपत्र पर 34 पर तीन परतों में अर्ज इरसाल तैयार कर इसे वसूली की रकम के साथ तहसील राजस्व लेखाकार के पास लायेगा। तहसील राजस्व लेखाकार अर्ज इरसाल के साथ लगी रसीदों (प्रपत्र पर 33) के नम्बर का मिलान पिछले रसीद पटवारी द्वारा रोक तो नहीं ली गई है। इस काम के लिये उसे रसीद पुस्तक तथा रसीद संख्या नियन्त्रण पंजिका प्रपत्र रु० ले० संख्या 9 पर रखनी होगी जिसके लिये आवश्यक निर्देश अनुच्छेद मंड्या 65 में वर्णित है। अर्ज इरसाल के साथ प्राप्त अन्तिम रसीद नम्बर के साथ करेगा तथा देखेगा कि बीच में कोई को क्रमानुसार व्यवस्थित कर गए हों के अनुसार पत्रावलियाँ रखनी पड़ेंगी तथा रसीद पुस्तकों की नियन्त्रण पंजिका प्रपत्र रु० ले० संख्या 9 पर रखनी होगी जिसके लिये आवश्यक निर्देश अनुच्छेद मंड्या लेखाकार द्वारा इस पंजिका में की जावेगी। रसीदें सम्बन्धित ग्राम की पत्रावली में नत्यी करने के बाद अर्ज इरसाल पर इस पंजिका की क्रम संख्या, तिथि व आय शीर्षक अंकित कर अपने हस्ताक्षर करेगा। और फिर तहसीलदार के हस्ताक्षर करवाने के पश्चात् अर्ज इरसाल पटवारी को लौटा देगा। जिन स्थानों पर कोष/उप-कोष का रोकड़ कार्य बैक द्वारा किया जाता है उन स्थानों पर पटवारी अर्ज इरसाल दो प्रतियाँ पटवारी को दे दी जावेगी। यहां पर पटवारी को सावधानी से बैक द्वारा रकम प्राप्ति की रसीद की जांच आवश्यक नहीं लाहिये। पटवारी अर्ज इरसाल की एक परत बैक में राग ग्राम करेगा और इस बाबत उस परत पर अनुलेख करेगा। पटवारी अर्ज इरसाल की दूसरी परत की सियाहा में चस्पा कर देगा जहां कि रकम जमा करवाने अथवा भेजने का इन्द्राज किया गया था।

56. जिन स्थानों पर कोष/उप-कोष का रोकड़ कार्य बैक द्वारा नहीं किया जाता है उन इरसाल पर पटवारी अर्ज इरसाल व रकम तहसील उप-कोष के खजांची को देगा जो रकम प्राप्त करेगा, अर्ज पटवारी को वापिस लौटा देगा। अर्ज इरसाल की एक रसीद बैक में राग ग्राम पटवारी दूसरी परत को अपने सियाहा में उपरोक्तानुसार चस्पा करेगा।

57. छोटी रकमों अर्थात् रु० 100/- से कम राशि के चालान अर्ज इरसाल को, जब तक कि की विशेष सुविधा जारी रहेगी और इस प्रकार वसूली के दिनों में पटवारी को तहसील मुख्यावाय लाई जावे उसे भी राजकीय लेखों में जमा करने के लिये ऐसी तहसीलों में स्वीकृत किया जा सकता है जहां कि जिले का जिलाधीश इससे सन्तुष्ट हो जाय कि वहां पर प्राप्त की जाने वाली राशि की सुरक्षा के लिये पर्याप्त साधन है। छोटी रकमों के अर्ज इरसाल/चालान के लिये तहसील राजस्व लेखाकार को प्रपत्र अंकित करने के पश्चात् तहसील राजस्व लेखाकार अपने हस्ताक्षर कर पटवारी को लौटा देगा। तब तहसील रोकड़ बही में जमा की पृष्ठ संख्या अंकित कर आवश्यक इन्द्राज पर तहसीलदार के हस्ताक्षर करवाएगा और अर्ज इरसाल की एक परत तहसील राजस्व लेखाकार व दूसरी परत पटवारी को देगा। अपने रजिस्टर प्रपत्र रु० ले० सं० 7 व 8 पर पृथक रजिस्टर रखना होगा। इस रजिस्टर का क्रमांक व तिथि अर्ज इरसाल पर पटवारी रकम व अर्ज इरसाल तहसील खजांची को देगा जो रकम जमा करेगा तथा अर्ज इरसाल पर तहसील रोकड़ बही में जमा की पृष्ठ संख्या अंकित कर आवश्यक इन्द्राज पर तहसीलदार के हस्ताक्षर करवाएगा और अर्ज इरसाल की एक परत तहसील राजस्व लेखाकार व दूसरी परत पटवारी को देगा। राजस्व लेखाकार को प्रतिदिन तहसील खजांची से प्राप्त अर्ज इरसाल की रसीद की गई परतों का मिलान खजांची के पास उस दिन अथवा अगले दिन जमा होनी नहीं पाई जावे उससे सम्बन्धित पटवारी के बारे में तहसील तहसीलदार को रिपोर्ट करनी होगी जो आवश्यक व्यवस्था करेंगे। हर तीसरे दिन अथवा जब भी सम्बन्धित आय शीर्षक में जमा करवाई जाने वाली रकम रु० 100/- से ऊपर हो जावे, जो भी पहुँच हो, अथवा उप-कोष में जमा करवायेगा तहसील राजस्व लेखाकार तथा तहसील खजांची दोनों का यह दी जावे। तहसीलदार का यह कर्तव्य होगा कि वह देखे कि तहसील खजांची के पास अधिक रकम में तो नहीं एकत्रित हो जाती है तथा उनको डबल लोक में सुरक्षित रखा जाता है। प्रत्येक मास की उप-कोष लेखा की अन्तिम तिथि को ऐसी समस्त धनराशि उप-कोष में जमा कराई जावेगी जाहे वह रुपये 100/- भी कम हो।

58. दैनिक भू-राजस्व प्राप्तियां की चालानबार पंजिका:—

यह अर्ज इरसालबार दैनिक वशुली पंजिका प्रपत्र रा० नं० सं० ७ पर रखी जायेगी। इस पंजिका में भू-राजस्व की जो प्राप्तियां कोष/उपकोष में जमा करवाई जाती हैं उनकी प्रविष्टियां चालानबार (अर्ज इरसालबार) दैनिक क्रम में प्रतिदिन की जायेगी। तहसीलदार यह सुनिश्चित करेगा कि समस्त अर्ज इरसाल प्रतिदिन तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा इस रजिस्टर में अंकित किये जाते हैं। किसी भी स्थिति में इस कार्य को बकाया में नहीं पड़ने दिया जावेगा। तहसील राजस्व लेखाकार इस पंजिका में कारबन पेपर लगाकर दो प्रतियां तैयार करेगा। चालान कापी कार्यालय प्रतिलिपि के रूप में तहसील कार्यालय में रखी जायेगी और प्रथम कापी पंजिका से फाइकर निर्धारित तिथि पर जिला कार्यालय को भेज दी जावेगी।

59. दैनिक प्राप्तियों का योग लगाया जावेगा। मास के अन्त पर दैनिक योग के पश्चात उत्तरोत्तर योग लगाया जायेगा। दैनिक व मासिक योग पर तहसीलदार तथा तहसील राजस्व लेखाकार के हस्ताक्षर होंगे। इस पंजिका में उपकोष तहसीलों के सम्बन्ध में दिनांक 25 से आगामी मास की 24 तारीख तक (दोनों दिनों को शामिल करते हुये) और जिलाकोष से सम्बन्ध रखने वाली तहसील की पहली तारीख से अन्तिम तिथि तक जमा करवाये गये चालान (अर्ज इरसाल) अंकित किये जायेंगे। मार्च मास में दिनांक 25 फरवरी से 31 मार्च तक के चालानों की प्रविष्टियां की जायेंगी।

60. विशेष हिदायतें :—

(1) यह पंजिका 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को शमाप्त होंगी।

(2) खाना नं० 1 में (चालान) अर्ज इरसाल संख्या, खाना नं० 2 में रकम जमा की तिथि तथा खाना नं० 3 में सम्बन्धित ग्राम का नाम दर्ज किया जावेगा।

(3) खाना नं० 4 में बकाया मांग से सम्बन्धित वर्ष का उल्लेख किया जायेगा।

(4) खाना नं० 5 से 7 में खालसा ग्रामों की बकाया व चालू वर्ष की स्थाई भू-राजस्व मांग की वशुली दर्ज की जावेगी। खातेदार तथा गैर खातेदारों के भू-राजस्व के अतिरिक्त विस्वेदारी, जमीदारी क्षेत्र में जो मुनाफा लगान वशुल किया जाता है वह भी इन्हीं खानों में बताया जावेगा।

(5) खाना नं० 8 में अस्थाई भू-राजस्व की बकाया मांग तथा खाना नं० 9 व 10 में चालू वर्ष की अस्थाई भू-राजस्व मांग की वशुली दर्ज होंगी। अस्थाई भू-राजस्व मांग में नदी, तालाब, पेटा आदि वार्षिक कास्त के लिये आवंटित भूमि का वार्षिक लगान, राजस्थान भू-राजस्व (झपि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1957 के अन्तर्गत 10 वर्ष के लिये गैर खातेदारी के रूप में झपि भूमि का आवंटन किया जाता है अतः उस भूमि का लगान जब तक नामान्तरकरण गैर खातेदारी प्रमाणित न हो जावे, जिना गंगानगर के गंग नहर क्षेत्र में जहां लगान “होई बोई” के आधार पर वशुल होता है, आरजी काश्तकार से वशुल किया जाने वाला वार्षिक लगान, मालकाना आरजी काश्त, एक साला आरजी काश्त नीलामी की रकम सिधाडा काश्त हेतु आवंटित भूमि का लगान खातेदारी पेटा, भूमि जो ढूब से बाहर हो, का लगान आदि की प्राप्तियां इन खानों में दर्ज करनी होंगी।

(6) खाना 11 में खाना नं० 5 से 10 तक का योग लगाया जायेगा।

(7) खाना नं० 12 में भू-राजस्व पर अधिभार की बकाया मांग वर्ष की दर्ज की जावेगी। खाना नं० 13 व 14 में भू-राजस्व पर अधिभार की चालू वर्ष की मांग जिन तहसीलों में रखी खरीफ दर्ज कियती हैं वशुल की जाती हैं की वशुली रखी व खरीफ के खानों में दर्ज की जावेगी। जिन तहसीलों में वशुलों व खरीफ में ही होती है वहां पर रखी का खाना खाली छोड़ दिया जावेगा। खाना नं० 15 में भू-राजस्व पर अधिभार वशुली का कुल योग दर्ज होगा।

(8) खाना नं० 16 व 17 में सरकारी भू-सम्पत्तियों के विक्रय से आय तथा बंजड़ भूमि के विक्रय से आय और भूमि कर की वसूली दर्ज की जावेगी।

(9) खाना नं० 18 में भूतपूर्व जागीरदारों से जागीर भूमियों से भू-राजस्व त्रिव्युट, चैक्चाकरी तथा मातमी हुकमनामा की जो बकाया वसूल होगी वह दर्ज की जावेगी। चंकि राजस्थान में गमस्त प्रकार की जागीर भूमियों का पुनर्ग्रहण किया जा चुका है अतः चालू मांग के निर्धारण का इब प्रश्न नहीं रहा है। परन्तु जागीर पुनर्ग्रहण से पूर्व के वर्षों की पूरक मांग की सम्भावना को ध्यान में रखते हुये खाना नं० 19 रखा गया है जिसमें इस प्रकार की मांग की वसूली मांग की उप-मद के अनुसार ही बताई जावेगी।

(10) पुनर्ग्रहीत जागीरों की स्थाई व अस्थाई भू-राजस्व मांग की वसूली खाना नं० 20 से 26 में दर्ज की जावेगी। इस सम्बन्ध में ऊपर श्रमांक 4 व 5 पर निर्दिष्ट हिदायतों का ध्यान रखना होगा।

(11) खाना नं० 27 में भूमियों पर स्थानीय कर तथा उप-कर मांग की वसूली दर्ज होगी।

(12) खाना नं० 28 व 29 में भूमि एकीकरण शुल्क की बकाया व चालू मांग की वसूली दर्ज की जावेगी।

(13) खाना नं० 30 में अधिक भुगतानों की वसूली के कारण प्राप्त होने वाली रकमें दर्ज होंगी जिनका व्यथ लेखा शीर्षक 9 भू-राजस्व में चार्ज किया गया था। भू-अभिलेख कर्मचारियों से सम्बन्धित अधिक भुगतानों की वसूलियाँ रोकड़ में अथवा वेतन बिलों, यात्रा बिलों से की जाती हैं वे रकमें इस मद में जमा होती हैं।

(14) सेवाओं के प्रति भुगतानों का संग्रहण, पूर्व राजस्थान में पुनर्ग्रहीत जागीरों की आय खाना नं० 31 में तथा अन्य मांगों की आय खाना नं० 32 में जब भी किसी तहसील में वसूल हो अंकित की जावेगी।

(15) खाना नं० 33 व 34 में नामान्तरकरण शुल्क (भूमि पंजीयन शुल्क) व ग्रास्ति नामान्तरकरण मांग की वसूली दर्ज होगी। खाना नं० 35 व 36 स्वतः स्पष्ट है।

(16) खाना नं० 37 व 38 में अप्रधिकृत अभिधारण के मामलों को नियमित करने से हुई प्राप्तियाँ (प्रीमियम) के रूप में वसूल की जाने वाली रकम दर्ज होगी।

(17) खाना नं० 39 व 40 में प्राकृतिक पैदावार से होने वाली आय, अतिक्रमणकारियों पर लगाई गई फास्ति, कृषि भूमि आवंटन सनद फीस पड़त सरकारी भूमि पर गिरे हुये वृक्षों के विक्रय मूल्य की राशि, ईंट व चूना भट्ठा, नमक भूमि किराया, औद्योगिक भूमि का लगान, भू-अभि ख की प्रतिलिपि शुल्क आदि की वसूली दर्ज होगी तथा खाना नं० 41 में विविध उप-मद का योग अंकित किया जावेगा। खाना नं० 42 में अर्ज इर-साल (चालान) वा कुल योग दर्ज होगा।

(18) खाना नं० 43 में तहसील राजस्व लेखाकार वसूली की प्रविष्टियाँ ग्राम पंजिका प्रपत्र रा० ले० सं० 2 में करने के पश्चात् पंजिका की पृष्ठ संख्या अंकित करेगा। मासिक मानचित्र जिला कार्यालय में प्रस्तुत करते समय तहसीलदार को देखना होगा कि खाना नं० 43 में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जा चुकी हैं।

(19) भू-राजस्व की बकाया पर वसूल किये गये ब्याज की जमा की प्रविष्टियाँ भी इसी पंजिका में खाना नं० 44 व 45 में की जायेंगी।

(20) जिला कोष कार्यालय से भागीय आय के आंकड़ों का मिलान करने के पश्चात् लेखा शीर्षकों अथवा रकमों में इसी प्रकार का अन्तर पा जावे तो पूर्ण प्रसंग महित लेखा शुद्धि, सम्बन्धित मास के लेखा में की जाकर मासिक योग तथा उत्तरोत्तर योग को ठीक कर दिया जावेगा। प्रत्येक लेखा शुद्धि पर तहसीलदार के हस्ताक्षर होंगे।

(21) इस पंजिका की मासिक वसूली के आधार पर तहसील की भू-राजस्व अभियाचन संश्हेष तथा अवशेष का मासिक विवरण-पत्र तैयार किया जाकर निर्धारित तिथि पर जिला कार्यालय को भेजा जावेगा।

61. दैनिक विविध आय को चालानदार पंजिका:-यह पंजिका 1 अप्रैल से आरम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त होगी। तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा प्रपत्र रा० ल० स० 8 पर यह पंजिका रखी जायेगी। इस पंजिका में भू-राजस्व के अतिरिक्त अन्य विविध आय शीर्षकों की आय जैसे मिन्हाई कर, मुधार कर, नजराना, ब्याज नजराना, भूमि विक्रय मूल्य, ब्याज आदि का लेखा रखा जावेगा। इस पंजिका को रखने, तैयार करने तथा प्रविष्टियां करने के सम्बन्ध में वही प्रक्रिया, प्रणाली व हिदायतें ध्यान में रखी जावेगी जो पंजिका रा० ल० स० 7 के सम्बन्ध में परिच्छेद संख्या 58 व 59 में बताई गई हैं।

62. ग्रामवार भू-राजस्व अभियाचन संग्रहण एवं अवशेष पंजिका:- (1) तहसील कार्यालय में ग्रामवार भू-राजस्व अभियाचन संग्रहण एवं अवशेष का लेखा रखने के लिये यह सबसे महत्वपूर्ण पंजिका है जो तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा प्रपत्र रा० ल० स० 2 पर रखी जावेगी। यह पंजिका 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त होगी।

(2) प्रत्येक ग्राम/चक के लिये आवश्यकतानुसार पृथक पृष्ठ निर्धारित किये जायेंगे।

(3) पंजिका के पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या अंकित की जाकर मुख्य पृष्ठ पर प्रमाण-पत्र दिया जावेगा जिस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर होगे।

(4) पंजिका के प्रारम्भ में भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवार हल्केवार ग्रामों के नाम व पृष्ठ संख्या बताते हुये अनुक्रमणिका बनाई जावेगी। इसी क्रम में ग्रामवार पृष्ठ निर्धारित किये जावेंगे।

(5) गत वर्ष में बकाया रही मांग को लाल स्थाही से सावधानी पूर्वक सम्बन्धित ग्राम के खाते में सम्बन्धित खाना में दर्ज किया जावेगा। स्थाई व अस्थाई भू-राजस्व मांग की स्वीकृति किश्तबन्दी अथवा मांग विवरण-पत्रों के आधार पर चालू दर्ष की मांग लाल स्थाही से दर्ज की जावेगी। इसी प्रकार भू-राजस्व पर अधिभार, नामान्तरकरण शुल्क आदि मांग का सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जान पर लाल स्थाही से पंजिका में सम्बन्धित ग्राम के खाता में दर्ज की जावेगी। विविध प्रकार की 'भू-राजस्व प्राय की मांग पंजिका' प्रपत्र रा० ल० स० 4 के आधार पर समय समय पर जब भी आवश्यक होगा पंजिका में दर्ज की जाती रहेगी। ग्रामवार दर्ज की गई समस्त बकाया व चालू मांग का सत्यापन तहसीलदार द्वारा किया जाकर खाना न० 44 में हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(6) पंजिका में वसूली प्रविष्टियां करते समय पंजिका प्रपत्र रा० ल० स० 7 के सम्बन्ध में परिच्छेद संख्या 60 में दिये गये निर्देशों को अवश्य ध्यान में रखना होगा।

(7) मासिक वसूली का योग लाल स्थाही से लगाया जावेगा। मियाहा वसूली का मासिक मिलान के परिणामस्वरूप विशेष विवरण के खाना न० 44 में तहसील राजस्व लेखाकार पटवारी के तिथि सहित हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। अर्द्धवर्ष (माह शितम्बर) की समाप्ति पर कुल वसूली का योग लगाया जाकर अवशेष निकाला जावेगा।

(8) वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् 31 मार्च के पश्चात् कुल अभियाचन, संग्रहण का ग्रामवार तथा उप-पटवार योग लगाया जाकर अवशेष लाल स्थाही से निकाला जावेगा। वर्ष के अन्त पर रही ग्रामवार बकाया का मिलान पटवारी के कागजात ढालबांछ से किया जाकर सम्बन्धित वर्ष का अन्तिम अभियाचन, संग्रहण एवं अवशेष विवरण-पत्र जिला कार्यालय को 30 अप्रैल तक हर स्थिति में भेज दिया जावेगा।

(9) मिलान समय पर पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा कार्यक्रम 15 मार्च से बनाया जायेगा। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी बकाया मिलान कार्य 15 अप्रैल तक पूरा करेंगे। यदि किसी विशेष पटवार हल्के का मिलान कार्य बकाया है तो वह मास अप्रैल की समाप्ति से पूर्व पूरा किया जावेगा। यह ध्यान रखा जावेगा कि पटवारी को तहसील मुख्यालय पर कम से कम समय के लिये रोका जाता है। यदि मासिक मिलान नियमित रूप से किया जाता रहे तो वर्ष के अन्त पर बकाया मिलान में फ़सी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और न ही अधिक समय लगेगा। तहसील के पटवार हल्कों तथा ग्रामों की संख्या के आधार पर मिलान कार्यक्रम बनाया जाकर जिला कार्यालय को 15 मार्च तक भेजा जावेगा जिसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित उप-बूँद अधिकारी को भी सचनार्थ भेजी जावेगी। जो पटवारी मिलान कार्य में शिखिलता बरतें, आदेशों की अवहेलना

